ध्येयIAS®

most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

अक्टूबर 2018 अंक 01

विषय सूची

अक्टूबर 2018
अंक–1

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01–16

- वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति : एक अवलोकन
- ब्लू इकोनॉमी का बढ़ता महत्व
- भारत-यूरोप संबंध का नया दौर
- पीएम-आशा कार्यक्रम : किसानों की समृद्धि का उपकरण
- भविष्य में रोजगार के लिए नए कौशल विकास की आवश्यकता
- इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान : तापन में कमी
- शहरी नक्सलवाद : वास्तविक संकट अथवा बनावटी डर

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 17–21

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 22–27

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 28–36

सात महत्वपूर्ण तथ्य 37

सात महत्वपूर्ण खेल 38–41

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 42

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही मे 15 सितंबर, 2018 को संपूर्ण विश्व में 'अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस' (International Day of Democracy) मनाया गया। वर्ष 2018 में इस दिवस का मुख्य विषय (Theme)- "Democracy Under Strain : Solution for a Changing World" था। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष नागरिक समाज पर विशेष बल दिया गया। इससे पूर्व सिविल सोसाइटी का इतना महत्व नहीं था क्योंकि अब विश्व नए विकास के एजेंडे को लागू करने की तैयारी कर रहा है परन्तु समय के साथ विश्व के कई देशों में कार्य कर रही नागरिक समाजों (सिविल सोसाइटीज) के लिए स्थान संकुचित होता जा रहा है। विश्व के कई देश इन गैर सरकारी संगठनों की क्षमता कम करने की दिशा में अंकुश लगा रहे हैं।

इसीलिए इस वर्ष का विषय 'स्पेस फॉर सिविल सोसाइटी' चुना गया है जो की विश्व की सरकारों के लिए एक स्मरणपत्र है जो यह बताता है कि सही अर्थ में सफलता और स्थिर लोकतंत्र तभी आ सकता है जब सिविल सोसायटी और सरकारें एकीकृत रूप से एक लक्ष्य के लिए कार्य करें। वर्ष 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय (Theme) ''लोकतंत्र और संघर्ष रोकथाम' (Democracy and Conflict Prevention) था।

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र विश्व में शांति, मानवाधिकार और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है एवं उसी की एक कड़ी विश्व लोकतंत्र दिवस है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि मानव अधिकार और कानून का शासन लोकतांत्रिक समाजों में सबसे सुरक्षित है। साथ ही यह हर जगह लोकतंत्र के बारे में एक मौलिक सत्य भी पहचानता है कि लोकतंत्र एक मजबूत, सक्रिय और मुखर नागरिक समाज का उत्पाद है।

विदित हो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 नवंबर, 2007 को लोकतंत्र का पालन करने की वार्षिक तिथि के रूप में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में चुना। असेंबली ने लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों लोगों एवं संगठनों को आमंत्रित किया। इसने सभी सरकारों को लोकतंत्र को बढ़ावा देने और समेकित करने के लिए समर्पित अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए भी कहा। असेंबली ने क्षेत्रीय और अन्य अंतर सरकारी संगठनों को लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अपने अनुभव साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को 2008 में पहली बार मनाया गया था। इसके बाद यह हर वर्ष बनाया जाने लगा। इस दिन पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से लोकतंत्र के मूल्य और महत्ता को बताया जाता है, उदाहरणस्वरूप कैसे लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सहिष्णु संस्कृति जैसे कारकों से जुड़ा हुआ है। वही अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) जैसे संगठन, लोकतंत्र और राजनीतिक सहिष्णुता के बारे में जनमत सर्वेक्षण जैसे गतिविधियों को व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार यह वर्तमान में एक अभियान बन गया है जिसे ''ग्लोबल डेमोक्रेसी डे इनिशिएटिव'' के नाम से भी जाना जाता है।

वर्तमान परिदृश्य

लोकतन्त्र आज के समय में निश्चित रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय धारणा है। एक लम्बे समय के ऐतिहासिक अनुभव से यह स्पष्ट हो गया कि राजतन्त्र या कुलीनतन्त्र जनसाधारण के हितों में कार्य न करके कुछ विशेष व्यक्तियों या एक वर्ग विशेष के स्वार्थो का ही ध्यान रखते हैं। आधुनिक लोकतंत्र कि कहानी कम से कम दो सदी पहले शुरू हुई। सर्वप्रथम 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद यह टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। इस क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह-जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षो की प्रेरणा दी।

हाँलाकि ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरफ कदम उठाने की शुरूआत फ्रांसीसी क्रांति के काफी पहले ही हो गई थी लेकिन वहाँ प्रगति की रफ्तार काफी कम थी। फ्रांसीसी क्रांति के आस-पास ही अमेरिका भी आजाद हुआ तथा 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया।

लोकतंत्र के दूसरे चरण में इटली, पश्चिमी जर्मनी, भारत, जापान एवं इजराइल जैसे देश लोकतांत्रिक हुए तथा कलांतर में यह विस्तार और आगे बढ़ा। कुछ समय पहले लोकतंत्र के प्रति यही जज्बा मिश्र, म्यांमार, हांगकांग जैसे देशों में भी देखा गया जहाँ कभी सैनिक तानाशाही व राजतंत्रात्मक शासन मौजूद था।

लेकिन हकिकत में जब लोकतंत्र के तौर-तरिकों और उस पर अमल करने की बात आती है तो एक अलग ही परिदृश्य उभर कर सामने आता है। वर्तमान में एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि दुनिया के सिर्फ 19 देशों में पूरी तरह से लोकतंत्र कायम है यानी चुनिंदा देशों में ही जनता का राज चलता है। इकोनॉमिक्स

इंटेलिजेंस यूनिट नाम की संस्था की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट की जांच-पड़ताल में लोकतंत्र के पैमाने पर चुनाव, राजनीति, संस्कृति और नागरिक अधिकारों का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है।

रिपोर्ट में कई हैरतअंगेज बातें कही गई हैं और बताया गया है कि दुनिया के एक तिहाई लोग बगैर लोकतंत्र या एकपक्षीय सत्ता के अधीन रह रहे हैं। इस रिपोर्ट में 89 देशों को शामिल किया गया और सभी ने पिछले साल की तुलना में कम स्कोर प्राप्त किए हैं।

लोकतंत्र के इस पैमाने पर नार्वे ने बाजी मारी है और सबसे बेहतर लोकतांत्रिक देश का खिताब हासिल किया है, जबकि टॉप 19 में से 14 देश पश्चिम यूरोप के हैं। हालांकि इसके बावजूद यूरोप के इस क्षेत्र में इंडेक्स औसतन 8.38 पर रहा, जबकि पिछले साल स्थिति इससे बेहतर थी। स्पेन पर कैटेलोनिया के जनमत को ठुकराने के कारण दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है और इसकी रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है।

वहीं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत 7.23 स्कोर के साथ 42वें स्थान पर है जबकि गत वर्ष भारत इस सूचकांक में 7.81 स्कोर के साथ 32वें स्थान पर था। इस वर्ष की रिपोर्ट में विभिन्न देशों में मीडिया की आजादी का भी अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट में अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, इजराइल, सिंगापुर के साथ भारत को भी दोषपूर्ण लोकतंत्र की सूची में रखा गया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान 110वें, बांग्लादेश 92वें, नेपाल 94वें और भूटान 99वें स्थान के साथ मिश्रित व्यवस्था में शामिल रहे हैं। तानाशाही व्यवस्था श्रेणी में चीन, म्यामांर, रूस और वियतनाम जैसे देश हैं। उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान 167 वें स्थान पर है और सीरिया 166वें स्थान पर है। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र का सूचकांक वर्ष 2016 के 5.52 अंक से गिरकर वर्ष 2017 में 5.48 अंक पर आ गया है।

सही मायनों में लोकतांत्रिक देश कौन है?

आज विश्व में कई देश अपने आप को लोकतांत्रिक बताते हैं। उनके यहाँ इसके लिए तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर करती है। उदाहरण म्यांमार के पिनोशे, किम जोंग, जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राजपरिवार मे जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। यदि इस को सही माना जाए तो उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है।

स्मरणीय है कि पिछले तीन दशकों में चुनावी लोकतंत्र वाले देशों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। वर्ष 1980 में यह संख्या 40 थी जो 2012 में बढ़कर 94 हो गई, हालांकि इसके साथ ही चुनावी लोकतंत्र में विश्वास भी तेजी से घटा है। डब्ल्यूडीआर (World Democracy Report) (2017) की रिपोर्ट से पता चलता है कि चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी हैं। वर्ष 1979 तक चुनावों को सौ फीसदी स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाता था, लेकिन वर्ष 2012 तक यह धारणा घटकर सिर्फ 59 प्रतिशत रह गई। सामान्य धारणा के मुताबिक इस रिपोर्ट का यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि चुनावी लोकतंत्र आधुनिक दुनिया में शासन का सबसे लोकप्रिय तंत्र हो सकता है लेकिन शुचिता के लिहाज से अब यह शायद ही भरोसेमंद रह गया है।

इस रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जब से चुनावी लोकतंत्र दुनियाभर में फैला और इसने लोगों की कल्पनाओं को जकड़ा है, तब से ही मतदान प्रतिशत (जिसे विश्वसनीयता का मूल संकेतक माना जाता है) में गिरावट आई है। वर्ष 1945 में औसत मतदान 77 प्रतिशत था। 2015 में यह घटकर 64 प्रतिशत रह गया जो लोकतंत्र के चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ी करती है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही लिजिए जहाँ सत्ता पर काबिज होने के बाद सैनिक शासक परवेज मुशर्रफ द्वारा गलत तरीकों से अपने आप को राष्ट्रपति निर्वाचित करने के बाद अपना कार्यकाल 2002 में पाँच वर्ष के लिए बढ़ा लिया व लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत पाकिस्तान के संविधान में व्यापक हस्तक्षेप के जरिए शक्ति को अपने हाथों में केन्द्रित किया। इसी प्रकार म्यांमार में सैनिक तानाशाह जनरल विन मिन्त के नेतृत्व में सेना ने तख्तापलट किया जो आज तक चल रहा है। काफी लम्बे समय तक यहाँ एकदलीय प्रणाली रही जिसमें सैनिक अधिकारी बारी-बारी सत्ता प्रमुख बनते रहे। वर्तमान में कई वर्ष बीत जाने के बाद आग सान सू की अब देश की काउंसलर बनी है जो लोकतंत्र की दुर्बलता को प्रकट करती है।

ठीक इसी तरह चीन में एक 'कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता उसके लोकतांत्रिक स्वरूप पर सवालियाँ निशान लगाती है। दरअसल लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नही होता बल्कि चुनाव में एक से ज्यादा राजनैतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए जोकि जनवादी लोकतांत्रिक देश चीन में नहीं है। यहाँ पर एक पार्टी (कम्यूनिस्ट पार्टी) प्रचलित है जो शासन सत्ता के प्रमुख पदों पर काबिज है। ठीक इसी तरह के हालात क्यूबा, कम्बोडिया में भी है। लोकतंत्र का यह रूप अपने आप को समाजवाद के निकट बताता है साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सापेक्ष समानता पर अधिक बल देता है। यहाँ व्यक्तियों को उस तरह की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है जो कि लोकतांत्रिक देश होने की शर्त है। उदाहरण अभी हाल ही में चीन में एक व्यक्ति को इसलिए जेल में डाल दिया गया कि उसने लोकतंत्र की मांग उठाई थी। इसको लेकर यूएनओ व अन्य देशों द्वारा चीन की निन्दा की गई। कालांतर में उस व्यक्ति को यूएनओ द्वारा विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक ऐसा ही रवैया लोकतंत्र को लेकर हाँगकाँग में देखा गया जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव के लिए सदस्यों के चयन की बात की। इसी तरह के हालात जिम्बॉम्बे में देखा जा रहा है।

भारतीय लोकतंत्र की स्थिति

जहां तक भारतीय लोकतंत्र का सवाल है तो उसे कई स्तरों पर देखा जा सकता है-

- एक शासन प्रणाली के रूप में भारतीय लोकतंत्र निश्चय ही परिपक्व हो चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद भारत के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया तथा स्वतंत्र निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी वह लगातार अपनी भूमिका का निर्वहन करती आ रही है।
- ग्रामीण जनता को स्वशासन का अधिकार देकर भारतीय लोकतंत्र ने जता दिया कि वह प्रगतिशील है, जीवित है और राजनीतिक परिवर्तनों का सशक्त माध्यम है न कि यथास्थितिवादी शासन प्रणाली।
- दलितोत्थान, जो कि हमारे समाज के लिए अभिशाप रहा है और जिसके लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी लगातार आवाज उठाई गई, को संस्थागत रूप प्रदान किया गया। छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। फिर समाज में पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों व अन्य पिछड़े वर्गों को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया ताकि वे लोकतंत्र के सामाजिक व

समतावादी स्वरूप का जीवंत अनुभव कर सकें।

- फिर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर भी देश ने लगातार कार्य किया। ''हिन्दू कोड बिल'' इस संदर्भ में मील का पत्थर है। दहेज निषेध अधिनियम भी इस परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया।

उपरोक्त हालातों के संदर्भ में लोकतंत्र को लेकर दो पक्ष उभर कर सामने आये हैं जो लोकतंत्र की सार्थकता और निर्थकता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करते हैं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले जरूरी है कि दोनों पक्षों को तर्कों की कसौटीयों पर कसा जाए।

लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क

वर्तमान विश्व में एक धारा ऐसा है जो मानता है कि लोकतंत्र सही नही है। वे इसको लेकर आमतौर पर निम्न तर्क देते हैं।

- लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती।
- लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है।
- लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है।
- लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं इससे अस्थिरता पैदा होती है।
- सामान्य लोगों को पता नही होता कि उनके हित में क्या सही है और क्या गलत है।
- लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र तर्क के विरुद्ध या विपरीत है।

लोकतंत्र के पक्ष में तर्क

लोकतंत्र के समर्थकों का मानना है कि निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने दुनिया में गरीबी नही मिटाई। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला करें लेकिन इससे इस बात की गारंटी भी नही है कि उनके सभी फैसले अच्छे हो, लोग गलती भी करेगें तथा लोगों की भागीदारी बढ़ने से देरी भी होगी। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी-जल्दी नेतृत्व परिवर्तन भी होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इन तर्को से ऐसा लग सकता है कि लोकतंत्र का जो रूप हम देखते है वह इस तरह का न हो, पर सवाल यह उठता है कि हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध है उनकें लोकतंत्र किसी भी दूसरी व्यवस्था से बेहतर है। इसे निम्न तर्को से स्पष्ट किया जा सकता है।

- लोगों की जरूरतों के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नही भी, यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले, आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें।
- लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है।
- गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर निर्णय लेने की संभावना ज्यादा होती है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। हॉलांकि इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी है।
- लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है जो भारत जैसे विविधता वाले देशों के लिए एक मिल का पत्थर है।
- लोकतांत्रिक नागरिकों को जो अधिकार मिलता है वह किसी और व्यवस्था में नही मिलता। अगर इस व्यवस्था में कम बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने में अपेक्षित सफलता न मिले तो भी यह दूसरी व्यवस्था से बेहतर है क्योकि इसमें तानाशाही का अभाव होता है।
- लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े-लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक होते हैं।
- लोकतंत्र समाज में जाति, लिंग के आधार पर भी भेदभाव का विरोधी है।
- लोकतंत्र एक जीवन शैली है जहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है।
- लोकतंत्र ऐसे शासन पर बल देता है जहाँ बहुमत द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित नही किया जाए, जहाँ सभी को आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा के न्यूनतम साधन उपलब्ध हो।
- लोकतंत्र स्वतंत्र व व्यक्ति कि गरिमा एवं बंधुता पर भी विचार करता है।
- लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी-अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नही दे सकती कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। इन गलतियों पर सर्वाजनिक चर्चा की गुजाइंश लोकतंत्र में होती हैं और फिर, इनमें सुधार करने की गुजाइंश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर-लोकतान्त्रिक सरकारों में ऐसा नही किया सकता।

आगे की राह

उपरोक्त पक्ष और विपक्ष के तर्को का तुलनात्मक विश्लेषण से यही निष्कर्ष निकलता है लोकतंत्र हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हे हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं-कहीं कुछ काम करने में असफल रही है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है। आज यू.एन.ओ. द्वारा किया जा रहा प्रयास उनकी लोकतंत्र के प्रति आस्था को प्रकट करता है। हालाँकि ये संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर अपने निर्देशों को थोप नहीं सकती लेकिन वे ऐसे नियम और दिशा-निर्देश बनाकर लोकतंत्र के लिए कार्य कर सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस -अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

2. ब्लू इकोनॉमी का बढ़ता महत्व

चर्चा का कारण

हाल ही में संपन्न बिम्सटेक सम्मेलन में 'नीली अर्थव्यवस्था' (ब्लू इकोनॉमी) की अहमियत पर विशेष जोर दिया गया और इस क्षेत्र में सतत विकास के लिए बिम्सटेक देशों ने आपस में सहयोग करने पर सहमति जताई है। बिम्सटेक देशों ने बिना समुद्री सीमाओं वाले सदस्य देशों की विशिष्ट जरूरतों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीली अर्थव्यवस्था पर एक कार्य योजना तैयार करने के लिए एक अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह गठन करने का निर्णय लिया है। बिम्सटेक देश नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में समुद्री संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग में निरंतर सहयोग करने पर विशेष जोर दिए जाने पर सहमत हुए हैं।

क्या है ब्लू इकोनॉमी?

वैसे ब्लू इकोनॉमी की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा उपलपब्ध नहीं है। अलग-अलग संगठनों ने इसे अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया है। विश्व बैंक के अनुसार 'ब्लू इकोनॉमी आर्थिक विकास, उन्नत आजीविका एवं रोजगार तथा महासागरीय पारितंत्र स्वास्थ्य के लिए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग है।' ब्लू इकोनॉमी समुद्री पारितंत्र को प्राकृतिक पूंजी के रूप में मान्यता प्रदान करता है और इसे इसी अनुरूप संरक्षित व निरंतर रखता है। भारतीय संदर्भ में ब्लू इकोनॉमी को नेशनल मैरिटाइम फाउंडेशन ने परिभाषित किया है। इसके मुताबिक समुद्र आधारित आर्थिक विकास जो उन्नत मानवीय रहन-सहन एवं सामाजिक समानता की ओर ले जाता है, साथ ही पर्यावरणीय जोखिमों एवं पारितंत्रीय संकटों को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है, ब्लू इकोनॉमी कहलाता है।

ब्लू इकोनॉमी की महत्ता को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है-

- **नवीकरणीय ऊर्जा:** सतत समुद्री ऊर्जा सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **मत्स्यन:** समुद्री मत्स्य वैश्विक जीडीपी में 270 अरब डॉलर से अधिक का योगदान करता है। अधिक सतत मत्स्यन अधिक राजस्व व अधिक मछली सृजित करने के अलावा मछली के भंडार को बनाये रखने में भी मदद करती है।
- **सामुद्रिक परिवहन:** 90 प्रतिशत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है। समुद्री मार्ग से व्यापार के वर्ष 2030 तक दोगुना तथा वर्ष 2050 तक चौगुना होने का अनुमान है।
- **पर्यटन:** महासागरीय एवं तटीय पर्यटन से रोजगार व आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। तटीय निम्न विकसित देश तथा लघु द्वीपीय विकासशील देश प्रति वर्ष 41 मिलियन से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** महासागरों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैसे कि बढ़ता समुद्री जल स्तर, तटीय कटाव, महासागरीय धाराओं के पैटर्न में बदलाव एवं अम्लीयता; बढ़ता दिख रहा है। साथ ही हमें नहीं भूलना चाहिए कि महासागर एक महत्वपूर्ण कार्बन सोखता भी है जो जलवायु परिवर्तन के शमन में मदद करता है।

पृष्ठभूमि

ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा को वर्ष 2010 में गुंटर पॉली की पुस्तक 'द ब्लू इकोनॉमी: 10 ईयर्स, 100 इनोवेशंस, 100 मिलियन जॉब्स' से प्राथमिकता मिली। इसके पश्चात रियो+20 सम्मेलन (2012) में संयुक्त राष्ट्र संघ के कई देशों ने सागरों एवं समुद्रों की जैव विविधता को बनाए रखने, उनका संरक्षण करने तथा वर्तमान व भावी पीढ़ियों के सतत उपयोग के लिए इसके स्वास्थ्य, उत्पादकता एवं सहायता की सुरक्षा एवं पुनर्बहाली के लिए शपथ लिया। इसी सम्मेलन के पश्चात ब्लू इकोनॉमी पहल को वैश्विक स्तर पर जोर-शोर से उठाया जाने लगा।

उद्देश्य

दरअसल ब्लू इकोनॉमी केवल आर्थिक विकास का तंत्र नहीं है वरन् यह सागरीय संसाधनों की सततता के साथ उसके स्वास्थ्य को बेहतर हालत में बनाए रखने की जरूरत पर बल देता है। ब्लू इकोनॉमी मॉडल पर्यावरणीय खतरों एवं पारितंत्रीय संकटों को महत्वपूर्ण रूप से कम करते हुए मानव की रहन-सहन एवं सामाजिक समानता में सुधार का लक्ष्य है। ब्लू इकोनॉमी विकास प्रक्रिया में बहुमूल्य महासागरीय संसाधनों के उत्पादक एवं इस्तेमाल का लक्ष्य लेकर चलती है। बहुत हद तक ब्लू इकोनॉमी वैकल्पिक विकास रणनीति के सद्गुणों से युक्त है। सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य संख्या-14, 'सतत विकास के लिए महासागरों, सागरों एवं सामुद्रिक संसाधनों का संरक्षण एवं सतत उपयोग' इसी को समर्पित है।

विश्व बैंक ने रेखांकित किया है कि 'ब्लू इकोनॉमी' का भविष्य आर्थिक विकास के लिए महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग, महासागरीय पारितंत्र, स्वास्थ्य, आजीविका एवं रोजगार पर निर्भर करता है। महासागरीय आर्थिक नीति की परंपरागत अवधारणा के विपरीत 'ब्लू इकोनॉमी' शब्द विविध सामुद्रिक गतिविधियों को शामिल करता है, मसलन् सजीव और निर्जीव समुद्री संसाधनों की खोज (गहन सागर मत्स्यन, जलकृषि का विकास, अपतटीय जीवाष्म ईंधन इत्यादि), नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन (पवन एवं ज्वारीय), सामाजिक आवश्यकताएं जैसे कि जलवायु परिवर्तन का शमन, आपदा प्रबंधन तथा तटीय एवं द्विपीय निवासियों के लिए विलवणीकरण। ब्लू इकोनॉमी अपने विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधनों एवं नवीकरणीय इनपुट का इस्तेमाल करता है। आज विश्व के विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में अनछुए संसाधनों की बड़ी क्षमता है जिनके इस्तेमाल से विश्व भर की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।

ब्लू इकोनॉमी महत्वपूर्ण क्यों है?

भूमि पर उपलब्ध संसाधनों का अति दोहन होने से वे तेजी से कम होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरतों की पूर्ति एवं विकास की गति बनाए रखने के लिए विश्व के महासागरों का आर्थिक दोहन आवश्यक हो जाता है।

ब्लू इकोनॉमी बनाम ओशन इकोनॉमी

रियो डी जेनिरियो में वर्ष 2012 में आयोजित यूएन सतत विकास सम्मेलन में ब्लू इकोनॉमी को ओशन या महासागरीय अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया जिसका लक्ष्य पर्यावरणीय खतरों एवं पारिस्थितिकीय संकटों में महत्वपूर्ण कमी करते हुए मानव के रहन-सहन एवं सामाजिक न्याय में सुधार करना है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्याख्या में भी महासागरीय अर्थव्यवस्था को ब्लू इकोनॉमी से भेद किया गया है।

- **महासागरीय अर्थव्यवस्था (Ocean Economy):** अर्थव्यवस्था का वह भाग जो

उत्पादन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आगतों/इनपुट हेतु महासागरों पर निर्भर है, जो कि उद्योग एवं भौगोलिक अवस्थिति पर आधारित है और ये उद्योग एवं गतिविधियां तटीय एवं गैर-तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है।

- **तटीय अर्थव्यवस्था (Coastal Economy):** तटीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र महासागरीय अर्थव्यवस्था से बड़ा है। यह अर्थव्यवस्था का वह भाग है जिसकी गतिविधियां जमीन एवं तटीय क्षेत्रों में होती हैं जिनमें उत्पादन, रोजगार एवं मजदूरी से संबंधित गतिविधियां प्रमुख है।
- **समुद्री अर्थव्यवस्था (Marine Economy):** यह अर्थव्यवस्था क्षैतिज रूप से एकीकृत क्लस्टर उद्योग से संबंधित है जिसमें ऐसे सेक्टर शामिल होते हैं जो अंतिम उत्पाद के लिए साझा बाजार के लिए होता है। इसमें जो पांच मुख्य सेक्टर शामिल किए जाते हैं, वे हैं: वाणिज्यिक सीफूड, सामुद्रिक परिवहन, तटीय पर्यटन एवं मनोरंजन, सामुद्रिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समुद्र से संबंधित निर्माण व आधार संरचना। वस्तुत: समुद्री अर्थव्यवस्था, तटीय अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है।

विश्व के परिप्रेक्ष्य में

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व के महासागरों में विभिन्न गतिविधियों का आर्थिक मूल्य 3 ट्रिलियन डॉलर से 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित रूप में महत्वपूर्ण योगदान करता है:

- 90 प्रतिशत वैश्विक व्यापार समुद्री मार्ग से गमन करता है।
- पनडुब्बी केबल या तार के माध्यम से 95 प्रतिशत वैश्विक दूरसंचार की जाती है।
- मत्स्यन एवं मत्स्यपालन विश्व की 4.3 अरब आबादी की 15 प्रतिशत प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करता है।
- 30 प्रतिशत से अधिक वैश्विक तेल एवं गैस अपतट से निकाला जाता है।
- विश्व अर्थव्यवस्था में तटीय पर्यटन बाजार खंड का सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत तथा वैश्विक रोजगार में 6 से 7 प्रतिशत का योगदान करता है।
- सामुद्रिक जैव विविधता के बारे में बढ़ते ज्ञान से औषधि, खाद्य उत्पादन एवं मत्स्यपालन जैसे सेक्टर में नई उपलब्धियां हासिल की जा सकी हैं।
- विश्व की 20 मेगाशहरों में से 13 तटीय हैं।
- ज्वारें, तरंग, धाराएं एवं अपतटीय पवनें ऊर्जा के उदीयमान स्रोत हैं जो कई तटीय देशों में निम्न कार्बन ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

भारत के परिप्रेक्ष्य में

- हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर), जो कि 70 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है और जो तीन महाद्वीपों की सीमा बनाता है, में मत्स्य एवं समुद्री खाद्य संसाधनों, जीवाष्म एवं नवीकरण ऊर्जा तथा खनिजों की पर्याप्तता है। यह समुद्री पर्यटन के विकास एवं जहाजरानी गतिविधियों के द्वारा व्यापार अतुलनीय आर्थिक अवसर उपलब्ध कराता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र सजीव एवं निर्जीव, दोनों प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को महत्वपूर्ण गति दे सकता है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर में महत्पूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों की अवस्थिति तथा 7000 से अधिक किलोमीटर की तटरेखा व्यापार, सामुद्रिक सुरक्षा एवं कूटनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है। वर्ष 2032 तक भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में ब्लू इकोनॉमी का विकास महत्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती है।

सागरीय ऊर्जा: केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में ज्वारीय ऊर्जा की कुल क्षमता पश्चिमी तट पर 9000 मेगावाट की है जिनमें कैंबे की खाड़ी (7000 मेगावाट), कच्छ की खाड़ी (1200 मेगावाट) शामिल हैं। वहीं पूर्वी तट पर सुन्दर वन में 100 मेगावाट की क्षमता है। वहीं भारतीय तटों पर पवन ऊर्जा की कुल क्षमता 40,000 मेगावाट की है।

मत्स्यन: केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016-17 में भारत में कुल मछली उत्पादन 11.41 मिलियन टन था। इसमें 3.5 मिलियन टन से अधिक समुद्री मछली है। ज्ञातव्य है कि मत्स्यन के लिए भारत सरकार द्वारा 'नीली क्रांति' या ब्लू रिवॉल्यूशन का संचालन किया जा रहा है। समुद्री मत्स्यन या मरीन फिशरीज भी इसका हिस्सा है। इसके तहत परंपरागत कला का आधुनिकीकरण, ईंधन कुशल एवं पर्यावरणनुकूल मत्स्यन प्रणाली को प्रोत्साहन, पोत निगरानी प्रणाली इत्यादि पर बल दिया जा रहा है। नीली क्रांति के गहन समुद्री मत्स्यन के तहत भारत से सुशिमी ग्रेड टुना मछली के निर्यात को बढ़ावा देने पर बल है। इसके अतिरिक्त मैरीकल्चर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके तहत मुख्य बल कोबिया, पोम्पानो व सी बास पर है।

व्यापार: हिंद महासागर क्षेत्र भारत के लिए व्यापार की दृष्टिकोण से असीम क्षमता रखता है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के देशों ने ब्लू इकोनॉमी व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस क्षेत्र में व्यापार वर्ष 2003 के 302 अरब डॉलर से बढ़कर 1.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया।

सरकारी प्रयास

सागर विजन: हिंद महासागर में भारत की ब्लू इकोनॉमी का विजन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रेखांकित 'सागर' यानी क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) पर आधारित है। उन्होंने ब्लू इकोनॉमी के बारे में भारत की महत्ता को रेखांकित करते हुये कहा था कि 'मेरे लिए भारत के राष्ट्रीय झंडे में नीला चक्र, नीली क्रांति या महासागरीय अर्थव्यवस्था की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।

सागरमाला परियोजना: भारत की सामुद्रिक पारितंत्र का प्राथमिकता वाला क्षेत्रक हैं; जहाजरानी, बंदरगाह, कंटेनर फ्रेट स्टेशन/इनलैंड कंटेनर डीपो एवं तटीय आर्थिक क्षेत्र, सड़क रेल एवं तटीय संपर्क, जहाज निर्माण, निवेश, परामर्श, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं मनोरंजन (क्रूज एवं लाइटहाउस पर्यटन) ब्लू इकोनॉमी के संवर्द्धन के लिए जहाजरानी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में सागरमाला परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास के लिए देश के तटों एवं अंतर्देशीय जलमार्गों का अधिकाधिक लाभ उठाना है। 150 पहलों तथा 4 लाख करोड़ के निवेश आधारित सागरमाला परियोजना चार व्यापक क्षेत्रों में विस्तृत है; छह नए बंदरगाहों के निर्माण के द्वारा बंदरगाह आधारसंरचना का आधुनिकीकरण, रेल गलियारों के द्वारा बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार, मालभाड़ा अनुकूल एक्सप्रेसवे व आंतरिक जलमार्ग, 14 तटीय आर्थिक क्षेत्र का सृजन शामिल है। इनमें से पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र का सृजन मुंबई स्थित जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर किया जा रहा है।

डीप सी मिशन: अंतरिक्ष की तहत उपलब्धियाँ हासिल करने के लिए अगस्त 2018 में भारत सरकार ने डीप सी मिशन योजना का रूपरेखा प्रस्तुत किया जो ब्लू इकोनॉमी को गति देने का प्रयास है। इसके तहत गहन समुद्र में खनन

की योजना है। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ने पॉलीमेटालिक नोडुल्स (Polymetalic Nodules: PMN) के उत्खनन हेतु भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन (सीआईओबी) में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रदान किया गया है। पीएमएन लोहा, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट खनिजों का हाइड्रोक्साइड मिश्रण है। एक अनुमान के अनुसार इस विशाल भंडार का यदि 10 प्रतिशत का भी दोहन किया जाता है तो अगले 100 वर्षों तक भारत की ऊर्जा मांग की पूर्ति इससे हो जाएगी।

ब्लू इकोनॉमी पर 'आसियान-भारत' वर्कशॉपः ब्लू इकोनॉमी पर 'आसियान-भारत' वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाता है। ऐसा ही एक वर्कशॉप 18 जुलाई, 2018 को आयोजित किया गया था जो कि आसियान एवं भारत के बीच ब्लू इकोनॉमी पर दूसरा वर्कशॉप था। इससे पहले विदेश मंत्रालय द्वारा अगस्त 2015 में गोवा में प्रथम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ब्लू इकोनॉमी डॉयलॉग का आयोजन किया गया था।

अन्य विभिन्न परियोजनाएं: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 'बे ऑफ बंगाल लार्ज मरीन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट' कार्यक्रम (Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Project) का संचालन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी का पर्यावरण एवं इसके मत्स्यन के क्षेत्रीय प्रबंधन में सुधार के द्वारा तटीय समुदायों के जीवन को उन्नत बनाना है। एक अन्य परियोजना है 'एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना' (Integrated Coastal Zone Management Project) जो कि तीन राज्यों में आरंभ किया गया है जिसका उद्देश्य है देश में व्यापक तटीय प्रबंध दृष्टिकोण के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण। यह परियोजना तटीय एवं समुद्री संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण प्रबंधन एवं तटीय समुदाय की आजीविका अवसरों में सुधार।

निष्कर्ष

हिन्द महासागर जो विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है और लगभग 2 अरब से अधिक लोगों के लिए आर्थिक जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। हिन्द महासागर पूर्व में मल्लका जल संधि तथा पश्चिम में होर्मूज जलसंधि से घिरा ये क्षेत्र विश्व का ध्यान आकर्षित कर रहा है जो दुनिया के तेल व्यापार का 64 प्रतिशत तथा तेल वाहक जहाजों के आधे हिस्से का नेतृत्व करता है। लेकिन हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है जिसका विस्तार दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। पारंपरिक चुनौतियों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, आतंकवाद, चोरी और अवैध तस्करी, गैर पारंपरकि खतरों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ शामिल है इसलिए हिन्द महासागर में एक मजबूत शासन और सुरक्षा आवश्यक है तथा इसे वैश्विक प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि बिना सुरक्षा प्रदान किए इकोनॉमी को मजबूती नहीं प्रदान की जा सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाध नों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।

■

3. भारत-यूरोप संबंध का नया दौर

चर्चा का कारण

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आठ दिवसीय यूरोप की विदेश यात्रा संपन्न की। इनकी यह यात्रा 2 सितंबर से 9 सितंबर तक रही। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने पहले साइप्रस फिर बुल्गारिया और अंत में चेक रिपब्लिक का आधिकारिक दौरा संपन्न किया। इस यात्रा में राष्ट्रपति कोविंद तीनों यूरोपीय देशों के प्रमुखों से बातचीत किये ताकि इन देशों का भारत के साथ संबंधों में मजबूती के नए आयाम स्थापित किए जा सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूरोपीय देशों के साथ भारत के उच्च स्तरीय संपर्क को जारी रखने के लिए यूरोप के देशों की तारीफ की। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट किया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हमारे निकटतम और सबसे मजबूत साझेदारों में से एक यूरोप की यात्रा शुरू करने पर खुश हूँ। मेरा प्रतिनिधिमंडल और मैं हिंद महासागर से भूमध्यसागर में मैत्रीपूर्ण धाराएं लेकर आए हैं, तथा एक सार्थक यात्रा के लिए तत्पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा इन देशों के साथ कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए।

तीनों देशों के साथ संपन्न समझौते

साइप्रसः इस यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने साइप्रस के राष्ट्रपति 'निकोस एन एनास्टासिएड्स' के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की, इसमें द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का मुद्दा भी शामिल था। भारतीय राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत की वित्तीय सूचना इकाई और साइप्रस में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिये बनाई गई यूनिट के बीच हुए समझौते का स्वागत करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और साइप्रस के बीच हुए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समझौते से दोनों देशों के बीच निवेश के क्षेत्र में मदद मिलेगी। यह समझौता निवेश पार-प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिये संस्थागत ढाँचे को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। दोनों देश दोहरे कराधान से बचने के लिये वर्ष 2016 में हुए समझौते में संशोधन करने पर भी सहमत हुए। इसके अलावा, दोनों देशों के प्रमुखों ने पारस्परिक हित से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, पर्यटन, नौवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। दोनों देशों ने मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर बातचीत करने के लिये सामान्य उद्देश्यों को रेखांकित किया।

बुल्गारियाः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके बुल्गारियाई समकक्ष रूमेन रादेव ने असैन्य परमाणु सहयोग सहित चार विषयों से जुड़े समझौतों पर दस्तखत किये। इन समझौतों में प्रमुख रूप से भारत और बुल्गारिया के बीच आपस में निवेश, पर्यटन सहयोग, असैनिक परमाणु अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक साथ काम करना तथा हिंदी के अध्ययन हेतु आईसीसीआर एवं सोफिया विश्वविद्यालय के बीच मजबूत भागीदारी को बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि बुल्गारिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य देश है। दोनों देशों के समकक्षों ने संयुक्तट रूप से साउथ पार्क, सोफिया में महात्माा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय राष्ट्रपति ने सोफिया विश्वविद्यालय के छात्रों को परिवर्तन के एक

उपकरण के रूप में शिक्षा और साझा समृद्धि विषय वस्तु पर संबोधित किया।

चेक गणराज्य: बुल्गारिया यात्रा की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति चेक गणराज्य के लिये रवाना हुए। चेक गणराज्य में उन्होंने भारतीय व्यापारी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। यहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध हजारों साल पुराने हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच वही गर्मजोशी आज भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि चेक गणराज्य आधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त मजबूत विनिर्माण आधार वाला देश है। यह हमारे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और दूसरे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महत्त्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। उन्होंने वहाँ रह रहे भारतीयों को अपने देश का सांकृतिक दूत बताया।

इस यात्रा का महत्त्व

1. भारत यूरोपीय संघ के सदस्यों के साथ बेहतर सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। यह यात्रा इसी कोशिश का एक हिस्सा थी।
2. इन देशों के उच्च राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकात करने के अतिरिक्त राष्ट्रपति कोविंद ने वहाँ कारोबारी मंच की बैठकों की अध्यक्षता की, भारतीय समुदाय से मुलाकात और वहाँ के उच्च शिक्षा संस्थानों में विशेष संबोधन भी दिया। हवाला को रोकने के अतिरिक्त, निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, नवाचार और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी कई सहमति पत्रों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति कोविंद द्वारा साइप्रस के प्रतिनिधि सदन के विशेष सत्र को संबोधित करना एक खास कार्यक्रम रहा।
3. उल्लेखनीय है कि इन देशों के साथ भारतीय इतिहास के सूत्रों का बार-बार दोहराया जाना भारतीय विद्या की लोकप्रियता और उन की राष्ट्रीय चेतना में नई दिल्ली की लगातार बनी हुई उपस्थिति को उजागर करता है।
4. इन तीनों देशों का महत्त्व इनकी भू-सामरिक स्थिति में विद्यमान है। चेक रिपब्लिक यूरोपीय महाद्वीप के केन्द्र में स्थित है, साइप्रस पूर्वी भूमध्यसागर से यूरोप का प्रवेशद्वार है और बुलगारिया काला सागर से दक्षिण-पूर्वी यूरोप का प्रवेश स्थल है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ में इन देशों की सदस्यता साझेदार देश को न केवल यूरोपीय संघ के बाजार तक पहुँच मुहैया करवाती है बल्कि उनकी नवीनतम प्रौद्योगिकी, व्यापार और आर्थिक विशेषज्ञता पाने के लिए संगठन के भीतर सकारात्मक स्थान भी उपलब्ध करवाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि बुल्गारिया ने हाल ही में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता के अपने 6 महीने पूरे किए हैं।
5. इस परिदृश्य के अनुसार ऐसे बहुत से वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दे हैं जहाँ भारत और इन देशों के हित एक जैसे हैं। ऐसे समय में जब बढ़ते संरक्षणवाद की वजह से वैश्विकरण को नकारात्मक अर्थ में लिया जा रहा है, भारत और यूरोपीय संघ के सदस्य एक निष्पक्ष, पारदर्शी और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करने और बेहतर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में रुचि रखते हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी के युग में साइप्रस, बुलगारिया और चेक गणराज्य तथा भारत ने प्रभावी आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। इस संदर्भ में वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रासंगिकता और ईयू का भू-आर्थिक प्रभाव, दोनों पक्षों को मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल का सामना करने के अनुकूल बनाते हैं।
6. इसके साथ ही आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, अवैध प्रवास और जलवायु परिवर्तन जैसे पारम्परिक और गैर पारम्परिक सुरक्षा खतरे वैश्विक बहुमंचीय समाधान की मांग करते हैं। राष्ट्रपति कोविंद की यात्रा के दौरान भारत को संयुक्त राष्ट्र में न सिर्फ व्यापक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद रोधी समझौते शीघ्र स्वीकार किए जाने के लिए समर्थन मिला बल्कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी को भी समर्थन मिला।
7. भारत और यूरोपीय देशों की परस्पर पूरकता दोनों पक्षों को दीर्घावधि आर्थिक सम्पर्कों में शामिल होने की विशेष स्थिति प्रदान करती है। चेक गणराज्य और बुल्गारिया असैन्य तथा सैन्य क्षेत्रों में आधुनिकतम तकनीक के विकास और नवाचार में शक्ति के केन्द्र बने हुए हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के लक्ष्य और नवीनतम तकनीक, सतत विकास तथा भारत की बौद्धिक संभावना को अधिकतम बनाकर ज्ञान आधारित समाज निर्माण के लक्ष्य के अनुरूप है।
8. इस प्रकार यूरोपीय कंपनियों के पास स्मार्ट सिटी, मेक इन इण्डिया, स्वच्छ भारत और सागरमाला जैसी अन्य परियोजनाओं द्वारा भारत के बदलाव में अहम भूमिका निभाने का अवसर है। इनकी विशेषज्ञता से भारत चौथी औद्योगिक क्रान्ति में भी प्रमुख स्थान पर रह सकता है। बदले में भारत के विशाल बाजार से इन यूरोपीय देशों को लाभ मिल सकता है। इन देशों की बाटा और स्कोडा जैसी कंपनियाँ पहले से ही भारत में घर-घर पहुँच चुकी हैं। इसी तर्ज पर भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और औषधि क्षेत्र की कंपनियों को इन देशों के बाजार में अपनी जगह बनाने में मदद मिलेगी। इस क्षेत्र में होने वाली कोई भी गतिविधि द्विपक्षीय बाजार के प्रसार में लाभदायक होगी जो कि अभी संभावना से काफी कम है।
9. इस तरह इन साझेदारियों की संभावना और इनका महत्त्व बहुत अधिक है। राष्ट्रपति कोविंद की यात्रा से एक बार फिर इन देशों में भारत की सकारात्मक छवि को मजबूती और संबंध मजबूत करने के मौजूदा दिशानिर्देशों को नई गति मिली है।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध

भारत और यूरोपीय संघ संबंध राजनीति और सुरक्षा तथा इसके आर्थिक हितों पर आधारित है जो अपने लोकतंत्र को बढ़ावा देने, मानव अधिकारों की रक्षा, कानून का शासन, तथा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। भारत उन दस देशों में से है, जिसके यूरोपीय संघ से सामरिक संबंध हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों की शुरूआत 1962 में हुई, जब भारत ने यूरोपीय संघ से कुटनीतिक संबंध स्थापित किए। उस समय इसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रूप मे जाना जाता था और अब दोनों पक्षों के बीच 56 वर्षों से कूटनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क के अनुसार यूरोपीय संघ भारत के साथ स्वतंत्रता, लोकतंत्र और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के सामान्य मूल्यों के आधार पर रणनीतिक भागीदारी बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी दोनों देशों के बीच संबंधों के बारे में उत्साहित हैं। विश्व के सबसे बडे लोकतंत्रों के रूप में भारत अपनी रणनीतिक साझीदारी को अत्यधिक महत्व देता है और हमारे घनिष्ठ संबंध साझा मूल्यों पर आधारित हैं।''

भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुदृढ़ साझीदारी की विपुल संभावनाएं हैं। भारत-यूरोपीय संघ मुफ्त व्यापार समझौता वर्ष 2007 में हुआ

था। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। भारत का 13.7 प्रतिशत व्यापार यूरोपीय संघ से होता है जबकि चीन के साथ 11.6 प्रतिशत और अमरीका के साथ 9.6 प्रतिशत है। यूरोपीय संघ भारत में नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। 2016 में भारत ने यूरोपीय संघ को 37.8 बिलियन यूरो का निर्यात किया जबकि दोनों पक्षों के बीच 70 बिलियन यूरो का व्यापार हुआ। भारत में लगभग 34 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यूरोपीय संघ से हुआ और भारत में छह हजार यूरोपीय कंपनियां कार्य कर रही हैं तथा पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच व्यावसायिक सेवाओं में व्यापार 10.5 बिलियन यूरो से बढकर 28.4 बिलियन यूरो तक पहुंचा।

यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली में यूरोपीय निवेश बैंक की स्थापना की तथा 1.5 बिलियन यूरो का आवंटन किया। इस बैंक द्वारा लखनऊ और बंगलुरू मेट्रो परियोजनाओं तथा अनेक सौर ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

राजनीतिक मोर्चे पर यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की क्षेत्रीय भूमिका को स्वीकार किया है। वह एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में सार्क की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है और अफ्रीका में भारत की भूमिका और हितों का भी ध्यान रखता है। नि:संदेह भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में प्रगाढ़ता आ रही है। एक साझा व्यापार से लेकर अब यूरोपीय संघ में एक साझी मुद्रा है और यह एक समुदाय के रूप में उभरा है।

गत वर्ष भारत और यूरोपीय संघ के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 14वां 'भारत-यूरोपीय संघ' की संपन्न हुई शिखर बैठक में न केवल आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने पर सहमति बनी बल्कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों पर भी मिलकर काम करने की रजामंदी हुई है।दोनों पक्षों ने कहा कि गतिशील व्यापार को विकसित करने और वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार पर जरूरी वार्ता जल्द शुरू करने पर भी रजामंदी जताई है। बैठक में दोनों पक्षों ने 2020 के एजेंडे की समीक्षा भी की। दोनों पक्षों के बीच तीन समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं इनमें पहला समझौता अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में निवेश से जुड़ा है।

इसके अलावा यूरोपीय निवेश बैंक बंगलुरू मेट्रो के 18 नए स्टेशन रैपिड ट्रांजिट लाइन के निर्माण के लिए 500 मिलियन यूरो की राशि प्रदान करेगा। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में शोध पर भी एक समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष स्वच्छ उर्जा के लिए काम करेंगे और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लागू करने पर सहमत हैं। स्मार्ट सिटी और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे।

निष्कर्ष

भारत यूरोपीय संघ संबंध वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक महत्व रखता है। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक या सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में दोनों पक्षों में हाल के वर्षों में प्रगाढ़ता आयी है। भारत का 13.7 प्रतिशत व्यापार यूरोपीय संघ से संपन्न होता है जो अन्य देशों से अधिक है। राजनीतिक मोर्चे पर भी यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की क्षेत्रीय भूमिका को स्वीकार किया है। अभी हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की तीन यूरोपीय देशों की यात्रा ने भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों की मजबूत गाथा लिखने के लिए पर्याप्त है लेकिन भारत और यूरोपीय संघ को अभी एक लम्बा सफर तय करना है इसके लिए आवश्यक है कि यूरोपीय देशों या यूरोपीय संघ के मध्य संपन्न विभिन्न समझौतों पर अमल किया जाए। इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने की जरूरत है साथ ही इनके बीच मुक्त व्यापार समझौते में आ रही बाधाओं को यथाशीघ्र दूर करने की आवश्यकता है। अगर भारत यूरोपीय संघ के बीच संबंध मजबूत हुए तो इससे न केवल भारत की क्षेत्रीय शक्ति बनने की अवधारणा को बल मिलेगा बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी भी मजबूत होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

4. पीएम-आशा कार्यक्रम : किसानों की समृद्धि का उपकरण

चर्चा का कारण

सरकार की किसान अनुकूल पहलों को अधिक बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्नदाता के प्रति अपनी कटिबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रधामंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना ''प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान'' (पीएम-आशा) को मंजूरी दे दी है। यह किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक असाधारण कदम है जिससे किसानों के कल्याण हेतु किये जाने वाले कार्यों में अत्यधिक सफलता मिलने की आशा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केन्द्रीय बजट में की गई है।

पीएम- आशा के प्रमुख घटक

नई समग्र योजना में किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं

- मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme & PSS)
- मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme & PDPS)
- निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (Private Procurement & Stockist Scheme & PPSS)

1. **मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme & PSS);**

इसके तहत दालों, तिलहन और गरी (Copra) की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (FCI) भी राज्यों/जिलों में PSS परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा। खरीद पर होने वाले व्यय और खरीद के दौरान होने वाले नुकसान को केंद्र सरकार मानकों के मुताबिक वहन करेगी।

धान, गेहूं एवं पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खरीद के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) की अन्य मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ कपास एवं जूट की खरीद के लिए कपड़ा मंत्रालय की अन्य वर्तमान योजनाएं भी जारी रहेंगी, ताकि किसानों को इन फसलों की एमएसपी सुनिश्चित की जा सके।

2. **मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme& PDPS)**

इसके तहत उन सभी तिलहनी फसलों को कवर करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिये MSP को अधिसूचित कर दिया जाता है। इसके तहत MSP और बिक्री/औसत मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान पहले से ही पंजीकृत उन किसानों को किया जाएगा जो एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिये अधिसूचित बाजार में अपनी उपज की बिक्री करेंगे। समस्त भुगतान सीधे किसानों के पंजीकृत बैंक खाते में किया जाएगा। इस योजना के तहत फसलों की कोई भौतिक खरीदारी नहीं की जाती है क्योंकि अधिसूचित बाजार में बिक्री करने पर MSP और बिक्री/औसत मूल्य में अंतर का भुगतान किसानों को कर दिया जाता है। PDPS के लिये केंद्र सरकार द्वारा सहायता, तय मानकों के अनुसार दी जायेगी।

3. **निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (Private Procurement & Stockist Scheme& PPSS)**

तिलहन के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे चुनिंदा जिला/जिले की APMC (Agriculture Produce Market Committee) में प्रायोगिक आधार पर निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (PPSS) शुरू कर सकते हैं जिसमें निजी स्टॉकिस्टों की भागीदारी होगी। प्रायोगिक आधार पर चयनित जिला/जिले की चयनित APMC तिलहन की ऐसी एक अथवा उससे अधिक फसलों को कवर करेगी जिसके लिये MSP को अधिसूचित किया जा चुका है। चूँकि यह योजना अधिसूचित जिंस की भौतिक खरीदारी की दृष्टि से PSS से काफी मिलती-जुलती है इसलिये यह प्रायोगिक आधार पर चयनित जिलों में PDPS को प्रतिस्थापित करेगी।

जब भी बाजार में कीमतें अधिसूचित MSP से नीचे आ जाएंगी तो चयनित निजी एजेंसी PPSS से जुड़े दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत किसानों से अधिसूचित अवधि के दौरान अधिसूचित बाजारों में MSP पर जिंस की खरीदारी करेगी। यह व्यस्था तब अमल में लाई जाएगी जब निजी चयनित एजेंसी को बाजार में उतरने के लिये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकार द्वारा अधिकृत किया जाएगा और अधिसूचित MSP के 15 प्रतिशत तक अधिकतम सेवा शुल्क देय होगा।

पीएम-आशा योजना की आवश्यकता क्यो?

भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत कृषि फसलों का न सिर्फ उत्पादन करता है बल्कि निर्यात भी करता है, ऐसे में स्वाभाविक है कि कृषि को अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान प्राप्त हो। भारत की सरकारें स्वतंत्रता के बाद से ही कृषि को बढ़ावा देती रही हैं लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारतीय कृषि की रूप रेखा दयनीय बनी रही। इधर हाल के वर्षों में तो कृषकों द्वारा की जा रही आत्महत्याएँ कृषि को सोचनीय स्तर तक पहुंचा दिया है। आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो कृषि करना चाहते हैं क्योकि कृषि एक घाटे का सौदा हो गया है। नई पीढ़ी तो कृषि की ओर से अपना मुख मोड़ रही है क्योंकि इसमें वो अपना भविष्य नही देख पा रहे हैं।

भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून पर निर्भर है तथा आज भी परंपरागत कृषि की जाल में जकडी हुई है। इसी का परिणाम है कि बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि का असर कृषि पर लगातार पड़ता है परिणामस्वरूप अत्यधिक भू-भाग होने के बावजूद भी उत्पादन कम होता है। ढ़ाचागत व्यवस्था की कमी के कारण किसानों को पर्याप्त बीज, खाद व सिंचाई सुविधा उपलब्ध नही हो पाती है जिससे कि किसानों का फसल उत्पादन या तो कम होता है या फिर बर्बाद हो जाता है। इससे किसान बिचौलिये द्वारा दिए गये ऋण के जाल में फस जाते हैं।

आज कृषि क्षेत्र में हो रहे घाटे के कारण पूरे भारत से किसानों के मरने की खबरें आ रही है जो भारत जैसे देश के लिए शर्म की बात है। जो अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है आज वही खाली पेट सोने के लिए विवश है, इससे दुःख की बात और क्या हो सकती है? ऐसा नही है कि देश के किसान मेहनत नही करते हैं तथा उनमें कृषि को लेकर चाहत नही है लेकिन परंपरागत खेती और सरकार द्वारा समूचित सुविधा उपलब्ध न करा पाने से उनकी सारी मेहनत बेकार जाती है।

वर्तमान समय में हो रहे आंदोलन भी इसी का परिणाम है। किसानों को यदि नई-नई तकनीकी कम मूल्य पर मिले तो वे इसका इस्तेमाल कर कृषि को एक लाभ का सौदा बना सकते हैं जैसा कि विकसित देशों में होता है लेकिन उचित तकनीकी एवं अनुसंधान का अभाव भारतीय किसानों को मरने पर मजबूर कर देती है।

ऐसा नही है कि सरकारों के द्वारा कृषिकों के हित में कोई कार्य नही किया गया लेकिन भ्रष्टाचारवादी रवैया और गलत रणनीति के कारण कृषकों के हालात में बहुत सुधार नही हो पाया। सरकारे आती रहीं और नई-नई घोषणाएं करती रहीं बावजूद इसके कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार नही हो पाया क्योंकि सभी सरकारों में क्रियान्वयन का अभाव दिखा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में उस स्तर पर ध्यान नही दिया गया जैसे कि अन्य क्षेत्रों में। भारत में कृषि आज भी भगवान के भरोसे है जिसमें कि किसान जीता और मरता है।

लगातार पिछले कई वर्षो से किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्यायें, आंदोलन तथा उनकी मांगो को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई है। वर्तमान सरकार ने किसानों के आय को दोगुना करने के लिए 2022 का लक्ष्य निर्धारित किया है। यही नहीं, फसल बीमा योजना, किसान समृद्ध योजना तथा मृदा किसान योजना जैसी कई योजनायें भी सरकार चला रही है जिससे कि किसानों को 2022 तक समृद्ध किया जा सके। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को जारी किया गया है।

सरकार की किसान अनुकूल पहल

- सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को साकार करने के लिय प्रतिबद्ध है। इसके तहत उत्पादकता बढ़ाने, कृषि लागत घटाने और बाजार ढ़ांचे सहित फसल कटाई उपरांत प्रबंधन को सुदृढ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
- इसके लिये अनेक बाजार सुधारों को लागू किया गया है। इनमे मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 और मॉडल अनुबंध खेती एवं सेवा अधिनियम, 2018 भी शामिल है।

- एक नया बाजार ढांचा स्थापित करने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं ताकि किसानों को उनकी उपज के उचित या लाभकारी मूल्य दिलाया जा सकें।
- किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ग्रामीण कृषि बाजारों की स्थापना भी कर रही है ताकि खेतों के काफी निकट ही 22,000 खुदरा बाजारों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- इसी तरह ई-नाम के जरिये एपीएमसी पर प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी थोक व्यापार सुनिश्चित करना और एक सुव्यवस्थित एवं किसान अनुकूल निर्यात नीति तैयार करना भी शामिल है।
- सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनायें लागू कर रही है जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एवं परंपरागत कृषि विकास योजना तथा मुद्रा स्वास्थ्य कार्डो का वितरण आदि।
- खेती की लागत के डेढ़ गुने के फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने का असाधारण निर्णय भी किसानों के कल्याण के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित करता है।
- सरकार ने खरीद परिचालन के लिये बजट प्रावधान भी बढ़ा दिया है और पीएम-आशा के क्रियान्वयन के लिये 15,053 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।
- कैबिनेट ने 16550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है जिससे यह गारंटी बढ़कर 45550 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई है।
- धान, गेहूँ एवं पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खरीद के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की अन्य मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ कपास एवं जूट की खरीद के लिये कपड़ा मंत्रालय की अन्य वर्तमान योजनाएँ भी जारी रहेगी, ताकि किसानों के लिये इन फसलों की एमएसपी सुनिश्चित की जा सके।
- कृषि क्षेत्र में नई-नई तकनीको के इस्तेमाल के लिए भी सरकार द्वारा फंडिंग किया जा रहा है जिससे कि कृषि उत्पादकता को अत्यधिक किया जा सके।

निष्कर्ष

देश के किसानों की जो हालत है उसे देखते हुए पीएम-आशा कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। यदि इस योजना को सही तरीके से लागू किया गया तो किसानों की स्थिति में बेहतर सुधार हो सकता है। हालांकि इस तरह की सरकार द्वारा चलाई गई योजना कोई नई बात नही है। पहले भी कई योजनाओं की घोषणा की गई लेकिन सही क्रियान्वयन के अभाव में सभी योजनाएं विफल साबित हुई हैं। योजनाएं सिर्फ कागजों पर चलती हैं और धरातल पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि योजनाओं के घोषणा के साथ ही साथ उसके उचित क्रियान्वयन पर भी ध्यान दिया जाय जिससे अन्नदाता का जीवन खुशहाल हो सके और सरकार का लक्ष्य भी पूरा हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

■

5. भविष्य में रोजगार के लिए नए कौशल विकास की आवश्यकता

चर्चा का कारण

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा हाल ही में 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 तक 50% से अधिक नौकरियों पर स्वचालित मशीनों का कब्जा होगा।

यह अनुमान लगाया गया है कि स्वचालित रोबोट के अधिक इस्तेमाल के कारण इंसानों के काम करने का तरीका तथा मानव श्रम भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने कामों के मशीनीकरण की रफ्तार तथा उसमें आने वाले बदलाव का विश्लेषण करते हुए यह अनुमान लगाया है।

'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स' रिपोर्ट से सम्बन्धित प्रमुख बाते-

- 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' रिपोर्ट में उद्योग क्षेत्रों की विस्तृत शृंखला से 300 से अधिक वैश्विक कंपनियों को शामिल किया गया है।
- इस सर्वे में 1.5 करोड़ से अधिक कर्मचारी और 20 विकसित तथा उभरती अर्थव्यवस्थाएँ शामिल थीं जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 70 प्रतिशत धारण करती हैं।
- वर्तमान में कुल कार्य का 71% हिस्सा मानव श्रम द्वारा होता है।
- वर्ष 2022 तक आते-आते यह हिस्सा 58% तक रह जाएगा, वहीं 2025 तक यह हिस्सेदारी 48% पर सिमट जाएगी।
- रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रोबोट क्रांति यानी ऑटोमेशन की इस प्रक्रिया के दौरान अगले पाँच सालों में 5 करोड़ 80 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा।
- लगभग 20 देशों की कंपनियों और 1.5 करोड़ कर्मचारियों के सर्वे के आधार पर विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि इन तकनीकों से दुनियाभर में करीब 13.3 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी।

पृष्ठभूमि

समय के साथ मशीनीकरण तेजी से हो रहा है. इसका असर मानव कौशल से जुड़ीं नौकरियों पर भी पड़ रहा है। विश्व की पहली औद्योगिक क्रांति में भाप के इंजन ने कई यांत्रिक उत्पादों का अविष्कार किया। जब दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई, तब विद्युत के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका। 1960 के पश्चात् आई तीसरी औद्योगिक क्रांति ने कम्प्यूटर, डिजीटल तकनीक और इंटरनेट के द्वारा खोले। वर्तमान दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। वर्तमान समय, चौथे दौर का है जो ऐसी दस तकनीकों से परिपूर्ण होगी, जो औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कर देगी।

स्वचालित रोबोट, ऑगमेंटेड रिएलिटी; द क्लाउड साइबर-सुरक्षा; योगात्मक विर्निर्माण या एडिटिव मेनुफैक्चरिंग, क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर एकीकरण या हॉरिजान्टल एण्ड वर्टिकल इंटिग्रेशन;

सिम्यूलेशन; बिग डाटा; द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस ऐसी दस परिवर्तनकारी तकनीकें हैं, जो डिजाइन से लेकर उत्पादकता, गति एवं उत्पादन की गुणवत्ता को बदलकर रख देंगी।

विश्व पर प्रभाव

मशीनी युग में जिस रफ्तार से 'रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' का चलन बढ़ रहा है इसका असर मानव कौशल से जुड़ी नौकरियों पर भी पड़ रहा है। इसे लेकर दो तरह की बातें निकल कर आ रही है। एक तरफ जहाँ कार्यस्थलों में मशीनों के इस्तेमाल से नौकरियां जाएंगी वहीं दूसरी ओर मशीनों के आने से नए रोजगार पैदा होंगे।

ऑटोमेशन के आने से जिन नौकरियों के खत्म होने की उम्मीद है, उनमें डेटा एंट्री क्लर्क, अकाउंटिंग क्लर्क और परोल क्लर्क जैसे वाइट कॉलर जॉब शामिल हैं। बदलते दौर में सभी सेक्टर्स में जिन नौकरियों की मांग में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, उनमें डेटा ऐनालिस्ट और साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर ऐंड ऐप्लिकेशन डिवेलपर्स, ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट और सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट हैं। ये सभी जॉब काफी हद तक टेक्नॉलॉजी के विस्तार पर आधारित हैं। WEF ने बताया कि कस्टमर सर्विस वर्कर्स, इनोवेशन मैनेजर और सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स जैसे पूरी तरह से 'मानवीय गुणों' पर आधारित नौकरियों की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

वर्ष 1980 के दशक से ही विभिन्न क्षेत्रों में रोबोट और मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल से आने वाले समय में नौकरियों पर खतरें की आशंकाएं जताई जाती रहीं है। पिछले दो दशक में विकसित देशों में श्रम बाजार में व्यापक बदलाव देखे गए है, जिसमें रोबोट व आर्टफीसियल इंटेलिजेंस का बड़ा योगदान रहा।

दावोस में हुए वर्ल्ड इकॉनमी फोरम में बताया गया था कि 'रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते चलन के कारण अगले पांच सालों के दौरान दुनिया के 15 विकसित देशों में करीब 51 लाख नौकरियां कम हो सकती हैं।' इससे पहले संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इस संदर्भ में चिंता जता चुका है। इस संगठन का अनुमान है कि वर्ष 2020 तक रोजगार के अवसरों में वैश्विक स्तर पर 110 लाख तक की कमी आ सकती है।

पर्सनल और स्ट्रेटजिक एग्जीक्यूटिव्स द्वारा किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर विशेषज्ञों ने आकलन किया है कि रोगजार के अवसरों में होने वाली कमी के कारणों में से करीब दो-तिहाई ऑफिस व एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में स्मार्ट मशीनों से काम लेने के चलते है। चिंता की बात यह कि ऑफिस के रोजमर्रा के कार्यों को निबटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बढ़ेगा। नई तकनीकों के चलते असमानता में वृद्धि एवं सामाजिक सामंजस्य में कमी आएगी।

दूलोन मस्क का अनुमान है कि ए आई के कारण मानवता को खतरा हो सकता है। अत: इसके कड़े नियमन की जरूरत है।

बिल गेट्स का भी मत है कि रोबोट से काम लेने पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाना चाहिए, एवं स्वचालन की प्रक्रिया को धीमी गति से आगे बढाये जाने की जरूरत है।

अमेरिका जैसे देशों में रोबोट और मशीन के चलन में बढ़ोतरी हुई एवं इंसानों की जगह मशीनों ने ले लीं। इससे मानवीय रोजगार में काफी कमी आई। ठीक इसी तरह सउदी अरब में सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता दिया जाना घरेलू श्रमिकों के रोजगार पर संकट पैदा करता है। हालांकि विश्व आर्थिक मंच के एक अध्ययन के अनुसार ई-कॉमर्स एवं सोशल मीडिया सहित सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस जैसी जिन नौकरियों में ''मानव कौशल'' की आवश्यकता होती है उनमें मानव कौशल में इजाफा देखा जा सकता है। इसी तरह से रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और प्रबोधन जैसे कार्यों में भी मानव कौशल बना रहेगा।

भारत पर प्रभाव

वर्तमान में भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही भारत में भी रोबोटिक्स, वर्चुअल रियल्टी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग सहित तमाम तकनीकी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का बोलबाला लगातार बढ़ रहा है। नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा देश में व्यवसाय करने के तरीके को बदलने पर जो दे रही है।

विशेष रूप से जन कल्याण के क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जायेगा। स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने, नागरिकों के लिये बेहतर शासन प्रणाली लाने और आर्थिक उत्पादकता को बढ़ोत्तरी हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी भविष्य की ओर ले जाने वाली तकनीकों का उपयोग अब अपने देश में भी किया जायेगा। जो काफी हद तक भारत को प्रभावित करेगा। हालांकि भारत आज भी विकसित देशों से रोबोटिक ऑटोमेशन के मामलें में पीछे है। यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, कोरिया एवं चीन में रोबोट और मशीनों का अधिक चलन है जिसमें भारत आज भी इन देशो के मुकाबले काफी पीछे है।

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के अनुसार वर्ष 2014 में भारत में 2100 औद्योगिक रोबोट बच गए थे। वर्ष 2015 में भारत में बहुउद्देशीय संचालकीय औद्योगिक रोबोट की संख्या 14300 थी, वर्ष 2018 तक 27100 होने की संभावना जताई गई थी। भारत के लिहाज से इन रोबोट को रखना काफी खर्चीला है। इसके साथ ही भारतीय घरों की जटिल संरचना भी रोबोट के विकास में बाधक बनेगा। वैसे भारत में रोबोटिक्स का ज्यादातर इस्तेमाल औटोमेटिंग वेयरहाउससिंग एवं लॉजिस्टिक फील्ड में किया जाता है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी इसका प्रयोग देखा जा रहा है।

देश में टाटा मोटर्स भी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उत्पादन के लिए औद्योगिक रोबोटिक्स एवं

ऑटोमेशन का उपयोग करती है। साथ ही टाटा मोटर्स ने पुणे प्लांट में लगभग 100 रोबोटिक्स स्थापित किया है। बावजूद इसके भविष्य में भारत में रोबोटिक्स व विकास से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

यह बात जरुर है कि देश में ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन से लोगों के कौशल में गुणवत्ता बढ़ेगी लेकिन इसके पीछे एक और पहलू भी है जिसमें लोगों की जगह मशीनों ने ले लीं है। वर्ष 2016 में सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता कंपनी विप्रो ने 12,000 इंजीनियरों को दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने की जरूरत पड़ी क्योंकि वे जो काम करते थे, वे सॉफ्टवेयर से ही होने लगे। वहीं इन्फोसिस ने भी करीब 8,500 लोगों के साथ यही किया। इसके साथ ही भारतीय वाहन उद्योग में भी नौकरियाँ कम होने लगी हैं क्योंकि मानव श्रम की जगह अब मशीनों का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इस मशीनीकरण के युग में भारत मानव संसाधन को व्यापक क्षति हो सकती है। चूंकि हमारी वर्तमान पूँजी युवा जनसंख्या है तो अवसरों की एक खुली खिड़की है जिसको भूनाने की जरूरत है।

पिछले वर्ष मैकिंजी ऐंड कंपनी के एक अध्ययन में कहा गया था कि भारत में 52 प्रतिशत नौकरियाँ ऑटोमेशन के हवाले हो सकती हैं या ऐसा होने की संभावना है। एचआर विशेषज्ञों का कहना है कि इससे करीब 23.3 करोड़ नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। 'एचएफएस इंडिया' के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2021 तक भारत में 6.40 लाख नौकरियाँ आईटी ऑटोमेशन की भेंट चढ़ जाएंगी।

इस बारे में पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने पुस्तक 'द वर्ल्ड इन 2050' के विमोचन के मौके पर कहा था कि ऑटोमेशन और मशिनिकरण से सबसे ज्यादा नुकसान भारत जैसे देशों में मध्यम वर्ग को होगा, जिन्हें अब तक इसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में डिजिटलाईजेशन के प्रवेश से कार्यस्थलों में काम आसान हुआ है तो वहीं कार्यों में पहले के मुकाबले ट्रांसपेरेंसी आई है। वही डिजिटल के बढ़ते प्रयोग ने नौकरी में कमी के साथ-साथ लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से आलसी और कमजोर बना दिया है। इसलिए भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह कहना कि रोबोट और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के प्रवेश से भविष्य में सकरात्मक असर देखे जायेंगे, अभी यह जल्दबाजी होगी। लेकिन इस संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता है कि भारत को इससे लाभ प्राप्त होगा जैसे कि-

- रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक विश्व की अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए आई) का 15.7 खरब डॉलर के योगदान का अनुमान है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की तकनीकी स्थिति, अनुकूल जनसांख्यिकीय एवं एडवांस डाटा की उपलब्धता के संरचनात्मक लाभ को देखते हुए ए आई के क्षेत्र में भारत अग्रणी हो सकता है। 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में ए आई का 957 अरब डॉलर का योगदान मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र में 'स्केल' और 'गुणवत्ता' दोनों के लिहाज से एआई बहुत सहायक हो सकता है।
- नई तकनीकों के आने से भारत अपने ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में जिन दो कारणों से अनुबंधों के प्रवर्तन और संपत्ति के पंजीकरण में, 190 देशों के बीच 164 वें और 154 वें स्थान पर है उसमें सुधार होगा।
- भारत के न्यायालयों में लगभग 3 करोड़ मामले लंबित पड़े हुए है। जिला न्यायालयों में लंबित पड़े लगभग दो-तिहाई मामले भूमि-पंजीकरण से जुडे हैं। ब्लॉकचेन से जुड़े अनुबंधों से न्यायिक मामले बहुत कम हो जाएंगे, भूमि पंजीकरण में पारदर्शिता आ जाएगी एवं भूमि से जुड़ा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।
- भारत में आधार से जुडे सैकड़ों लोगों के बायोमैट्रिक हैं। जिन्हें ब्लॉकचेन के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों में काम में लाया जा सकता है।

भारत के समक्ष चुनोती

- मशीनीकरण से सर्वाधिक प्रभावित वे समूह होगें जो अपने कौशल क्षमता में निश्चित समय के भीतर आवश्यक सुधार लाने में असमर्थ होंगे अत: सरकार तथा उद्योगों को चाहिए कि ऐसे लोगों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन व समय उपलब्ध कराए। मानव श्रम की नई भूमिकाओं की गुणवत्ता, स्थान स्वरूप और स्थायित्व का निर्धारण करना।
- कम्प्यूटर प्रोग्राम वाली मशीनों, रोबोटों की गति के साथ तालमेल बिठाते हुए मानव श्रम के कौशल को उभारना एक बड़ी चुनौती है।
- यह वाकई चिन्ताजनक है कि ज्यादातर उद्योग अपने मौजूदा मानव संसाधन के कौशल को विकसित करने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं।
- ऐसे उद्योग जो गतिशील, औरों से अलग तथा प्रतिस्पर्द्धी बने रहना चाहते हैं उन्हें अपने मानव संसाधनों में भी निवेश करने के लिए कई कदम उठाने होगे।
- मशीनी औद्योगिक क्रांति के इस चरण में मानव संसाधन में निवेश आर्थिक तथा नैतिक आधारों पर करना एक मुश्किल भरा कार्य है।
- ऑटोमेशन को लेकर सरकार को सर्तकता के साथ ही साथ काफी कुछ करना बाकी है।

आगे की राह

- सर्वप्रथम, हमें भारत की शिक्षा व्यवस्था को डिग्रीयों के जाल से निकालकर कौशल पर आधारित करना होगा। इस क्षेत्र में अटल अन्वेषण मिशन ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।
- हमें कौशल के लगातार उन्नयन पर ध्यान देना होगा। चौथी औद्योगिक क्रांति से निपटने के लिए आई आई टी एवं ट्रिपल आई आई टी को पुन: परिभाषित करना होगा।
- हमें ऐसे टास्क फोर्स बनाने होंगे, जो बहुआयामी कौशल से युक्त हों। ये टास्क फोर्स किसी भी स्थिति से डिजिटल कार्यों को करने में सक्षम हों।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे सामाजिक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में नई तकनीकों की मदद से हम जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास सूचकांक में वृद्धि कर सकते हैं। ये क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ रोजगार के सर्वाधिक अवसर विकसित किए जा सकते हैं।
- इस प्रकार मशीनीकरण व स्वचालित रोबोटिक्स के रफ्तार प्रारंभिक चरण से अनेक देश गुजर रहे हैं। भारत को इस रूपातंरण के लिए अपने को तैयार करने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाध नों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।
- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

6. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान : तापन में कमी

चर्चा का कारण

हाल ही में 17 अक्टूबर 2018 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) अर्थात् भारत की शीतलीकरण कार्रवाई योजना का प्रारूप निर्गत किया है। इस प्रकार भारत विश्व का पहला ICAP निर्गत करने वाला देश बन गया है। इस योजना के तहत बताया गया है कि किस क्षेत्र में शीतलीकरण की कितनी आवश्यकता है तथा शीतलीकरण की माँग को कम करने के लिये कौन-कौन सी कार्रवाई की जा सकती है।

शीतलीकरण कार्रवाई योजना क्या है?

शीतलीकरण कार्रवाई योजना, शीतलीकरण की ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जिससे लोगों को आराम तो मिले अपितु पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी न पड़े। शीतलीकरण कार्रवाई योजना के तहत अपने लक्ष्यों के निर्धारण हेतु अगले 20 वर्षों में शीतलीकरण की आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया है और साथ ही शीतलीकरण के उपयोग को घटाने के लिये आवश्यक नवीनतम तकनीकों पर भी प्रकाश डाला गया है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से ऊर्जा के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।

आईसीएपी (इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान) देश की बढ़ती शीतलन आवश्यकता को पूरा करने के लिये उचित पर्यावरण अनुकूल शीतलक के साथ एवं ऊर्जा कुशल उपकरणों के उपयोग सहित शीतलन प्रौद्योगिकियों के एक मजबूत मिश्रण के विकास और उपयोग के महत्व को रेखांकित करता है।

पृष्ठभूमि

ओजोन परत में क्लोरीन और ब्रोमीन गैस के बढ़ते खतरे से सीएफसी तथा अन्य गैसों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गये। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा इसके लिए समुचित प्रयास किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार जो देश मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लक्ष्यों को लेकर चले उन देशों में 2005 तक ओजोन क्षरित रासयनों की खपत में 90-95 प्रतिशत तक की कमी आई है।

उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि 2000 के दशक तक ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि होगी हालांकि क्लोरीन एवं ब्रोमीन जैसी गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण इनमें वृद्धि की जगह कमी आई है। चूंकि ओजोन गैस की वृद्धि का मुख्य कारण क्लोरो-फलोरो कार्बन है इसलिए वैज्ञानिकों का जोर इसके उत्सर्जन पर नियंत्रण करने का है। 2014 में वैज्ञानिकों ने ओजोन परत में हुए छिद्र में वृद्धि का अनुभव किया जिससे यह पता चला कि रासायनिक गैसों की सान्द्रता में वृद्धि हो रही है। हांलाकि 2016 में वैज्ञानिकों ने व्यापक अध्ययन किया और पाया कि ऊपरी समतापमंडल में ओजोन गैस की सान्द्रता बढ़ रही है जबकि अंटार्कटिक में ओजोन परत में हुए छिद्र का आकार घट रहा है।

ओजोन एक ग्रीनहाउस गैस है, तथा यह ओजोन परत के टूटने और जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाती है। वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि 1970 के दशक के बाद से देखा गया समताप मंडल के ऊपरी हिस्से के ओजोन में कमी ने शीतलन प्रभाव पैदा किया है। हांलाकि वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ओजोन परत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है इसलिए शीतलन प्रभाव घटने की उम्मीद है।

आईसीएपी के लक्ष्य

ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में हो रही वृद्धि तथा उससे बचने के लिए आईसीपी योजना के कई लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं जो निम्नलिखित है-

- सभी प्रक्षेत्रों में शीतलीकरण के मांग को 2037-38 तक 20% से 25% तक घटाना।
- 2037-38 तक वातानुकूलन की माँग को 25% से 30% तक घटाना।
- 2037-38 तक शीतलीकरण पर होने वाले बिजली के खर्च को 25% से 40% तक घटाना।
- स्किल इंडिया मिशन (कौशल भारत अभियान) से तालमेल बिठाते हुए 2022-23 तक सेवा प्रक्षेत्र के एक लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र देना।
- वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास के लिए एक अनुसंधान एवं विकास नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

आईसीपी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक क्षेत्र

- कम ऊर्जा शीतलन प्रौद्योगिकीयों का विकास कर व्यावसायिकरण को बढ़ावा देना। इसके अलावा निजी क्षेत्र को भी नवाचार के माध्यम से इस क्षेत्र में बढ़ावा देना।
- प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके ऐसे भवनों का डिजाइन करना जिससे कि शीतलन की समस्या से निपटा जा सके।
- उपभोक्ताओं को जागरूक करना।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये शीतलन सक्षम करने के लिए लक्षित कार्यक्रम को बढ़ाने हेतु सरकारी वित्त घोषणा को बढ़ाया जाना।
- एचसीएफसी को चरणबद्ध रूप से लागू करने के लिये नई योजनाओं और मौजूदा योजनाओं के बीच तालमेल बिठाना।
- भारत की शीतलन आवश्यकता को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिये एक मजबूत, व्यापक और अनुसंधान एवं विकास तंत्र को विकसित करना जिसमें कि सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

आईसीपी योजना की आवश्यकता क्यों?

मानव की गतिविधियाँ और मानवीय आवश्यकताओं ने पर्यावरण को इस तरह प्रभावित किया है कि वर्तमान समय में बढ़ती पर्यावरण समस्याएं मानव के लिए खतरे की घंटी बन गई है। औद्योगिक विकास, भोगविलास वाली संस्कृति तथा आरामतलब जीवन, दिन-प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। कई रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक धरती के तापमान में 2°C तक की वृद्धि हो जाएगी। इस तापमान के बढ़ने में मानव द्वारा उपयोग किये जा रहे संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है।

उल्लेखनीय है कि बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई प्रौद्योगिकीयों का विकास किया जा रहा है। ऊर्जा उत्पादन के लिए पनबिजली परियोजनाओं से लेकर आण्विक विस्फोट तक किये जा रहे है। इन सब से इतनी व्यापक ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

शहरों में जिस तेज गति से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है उसे देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग का होना कोई नई बात नही है। हर घर में कूलर, एसी, रेफ्रीजरेटर आदि जैसे ऊर्जाखपत वाली वस्तुएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिससे कि शहरों के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। वही दूसरी

तरफ गाँव से लेकर शहरों तक पेड़-पौधे लगातार कम होते जा रहे हैं जिससे कि कार्बनडाईऑक्साइड में लगातार वृद्धि हो रही है।

देश में वाहनों में हो रही बेतहासा वृद्धि भी बढ़ते तापमान का एक बड़ा कारण है। कार्बनमोनोऑक्साइड गैसों की वृद्धि में ये वाहन सहायक है और ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर आईसीपी योजना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस योजना से बढ़ते तापमान पर बहुत हद तक रोक लग सकती है।

आईसीपी योजना से लाभ

- यह योजना ऊर्जा क्षमता ब्यूरों (Bureau of Energy Efficiency) के द्वारा तैयार किया गया है अत: इसके क्रियान्वयन को सही तरीके से संचालित किया जा सकता है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत शीतकारक उपरकणों को उनकी ऊर्जा बचाने की क्षमता के हिसाब से तारा रेटिंग (Star Reting) दी जायेगी।
- यह कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर चलेगा तथा 31 दिसम्बर 2020 तक मान्य होगा।
- इस कार्यक्रम से गरम करने वाले, हवा बाहर करने वाले और वातानुकूलन से संबंधित प्रणालियों में उन्नत तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- इस कार्यक्रम से बड़े-बड़े वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संयंत्रों को ऊर्जा बचाने वाले संयंत्रों में परिवर्तित करने में सुविधा होगी।
- चूंकि भारत तेजगति से विकास करने वाला देश है इसलिए देश में शहरीकरण तेज गति से हो रहा है। बढ़ते शहरीकरण से ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती सामने है। अत: इस कार्यक्रम के द्वारा शहरों में नियोजित ढंग से ऊर्जा खपत को लागू किया जा सकता है।
- इस कार्यक्रम के द्वारा भवनों में ऊर्जा की व्यवस्था इस तरह से की जाएगी जिससे कि बिजली की खपत कम से कम हो।

आगे की राह

- ओजोन क्षरण को बचाने तथा ओजोन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकाल एक प्रभावी कारक है। इसके तहत किंगाली संशोधन जो 1 जनवरी 2019 से लागू होगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहयोगी साबित होगा।
- भारत शुरू से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकाल के प्रावधानों को लागू कर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के पक्ष में रहा है। पेरिस संधि भारत की वचनबद्धता का ही परिणाम है।
- उल्लेखनीय है कि अभी तक मात्र 46 देशों ने किंगाली संशोधन की पुष्टि की है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के अन्य देश भी इस संधि का पालन करें।
- व्यक्तिगत स्तर पर भी अपनी आवश्यकताओं को कम करके बढ़ते तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है जैसे कि कूलर, एसी तथा रेफ्रीजरेटर का कम से कम उपयोग किया जाय।
- शहरों में बनने वाली कालोनियों को इस प्रकार से नियोजित ढंग से बनाया जाय कि उनमें प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके। इससे ऊर्जा खपत में कमी आएगी।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़-पौधों को लगाकर भी इस तरह के कार्यक्रमों में सहयोग किया जा सकता है।
- मानवीय गतिविधियों को कम करके प्राकृतिक प्रकोप से भी बचा जा सकता है जैसे- ज्वालामुखी, भूस्खलन, दावानल आदि।

निष्कर्ष

आईसीएपी योजना से बढ़ते ग्लोबलवार्मिंग की समस्या से निजात पाया जा सकता है। भारत सरकार न सिर्फ शहरों के सौर्न्दयीकरण पर बल दे रही है बल्कि शहरों को नियोजित तरीके से बसा रही है जिससे कि आने वाले समय में ऊर्जा का कम उत्सर्जन तथा उपयोग हो सके। भारत सरकार पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा चुकी है। सरकार नागरिकों में ऊर्जा जरूरतों को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रही है। अत: उम्मीद है कि इस योजना से बढ़ते तापमान पर नियंत्रण में सफलता प्राप्त होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

7. शहरी नक्सलवाद : वास्तविक संकट अथवा बनावटी डर

चर्चा का कारण

नक्सलवादी लिंक के कारण हाल ही में पुणे की पुलिस ने जनवरी में हुए भीमा कोरेगाँव दंगों के मामले में पाँच लोगों को गिरफ्तार किया है जिससे एक बार फिर "शहरी नक्सलवाद" के बढ़ते प्रसार पर बहस शुरू हो गई है। इस समस्या की खतरनाक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के पास से एक चिट्ठी भी बरामद हुई है जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की बात सामने आई है। शहरी नक्सलवाद हमारे देश के युवाओं को देश के ही खिलाफ भड़का रहा है। सुरक्षा एजेन्सियों का मानना है कि नक्सलवाद का पुराना हो चुका नेतृत्व अब शहरों और कस्बों की ओर देख रहा है।

शहरी नक्सलवाद क्या है?

यह सवाल उठना लाज़मी है कि अर्बन नक्सल शब्द आया कहां से या शहरी नक्सलवाद है क्या? दरअसल अर्बन नक्सल शब्द फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री, के दिमाग की उपज है। विवेक अग्निहोत्री ने इस पर एक किताब भी लिखी है- 'अर्बन नक्सल्स' जिसका लोकार्पण हाल ही में हुआ। विवेक वही फिल्मकार है जिन्होंने 'बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम' नामक फिल्म अर्बन नक्सलवाद के मुद्दे पर बनाई थी। 'शहरी नक्सलवाद' से तात्पर्य ऐसे नक्सलवादी समूह से है जो गाँवों से निकलकर शहरों में अपनी पैठ बना रहा है जिनमें वकील, लेखक, मानवाधिकार, सामाजिक कार्यकर्ता और फिल्मकार शामिल हैं। इन संगठनों में अकादमिक और ऐसे कार्यकर्ता शामिल होते हैं, जो ज्यादातर मानव अधिकार गैर-सरकारी संगठनों के अंतर्गत काम करते हैं और सीपीआई (माओवादी) पार्टी की संरचना से व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं लेकिन कानूनी उत्तरदायित्व से बचने के लिये अलग पहचान बनाए रखते हैं। 'शहरी नक्सलवाद' का समर्थन करने वाले अग्रणी संगठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, रांची, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, मदुरै, तिरुवनंतपुरम, नागपुर और पुणे समेत कई शहरों में सक्रिय हैं।

पृष्ठभूमि

भारत में नक्सली हिंसा की शुरूआत पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी क्षेत्र में 1967 में एक किसान विद्रोह के रूप में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता चारू मजूमदार तथा

कानू सान्याल को माना जाता है। नक्सलवाड़ी क्षेत्र में शुरू हुआ ये आन्दोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया। 1969 में नक्सलवादी सीपीआई (एम) से अलग हो गये और इन्होंने सीपीआई (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) नाम से एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी की दलील थी कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है। नक्सलवादी आन्दोलन ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जीमन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दी। इस आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल के पक्ष में दलील देते थे। लेकिन व्यापक रूप से शहरी नक्सलवाद की शुरुआत 80 के दशक में हुई थी जब नक्सलवाद ने शिक्षा के केंद्रों में अपनी जड़ें जमानी शुरू की और 2004 तक आते-आते अपनी गतिविधियों को बदलकर बौद्धिक स्तर पर जंग छेड़ी। 2004 में सीपीआई (माओवादी) का गठन सीपीआई (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) पीपुल्स वॉर ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) तथा माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के विलय के साथ हुआ था।

नक्सलवाद का सीधा संबंध वामपंथ से है। नक्सलवाद के समर्थक चीनी साम्यवादी नेता माओत्से तुंग के विचारों को आदर्श मानते हैं। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था (इसीलिये इसे माओवाद भी कहा जाता है) और आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों तथा किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं। धीरे-धीरे मध्यवर्ती भारत के कई हिस्सों में नक्सली गुटों का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। इनमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।

उद्देश्य: शहरी नक्सलवाद ने अपने उद्देश्यों की पूर्ती के लिए अलग-अलग रणनीतियों के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित संसदीय स्वरुप को उखाड़ फेंकने के लिये एक नये विचारधारा का समर्थन किया जिसमें शामिल अपने लोगों को पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) में भर्ती करना, देश के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करना, धीरे-धीरे शहरी केंद्र को घेरना है। शहरी आबादी के कुछ लक्षित वर्गों को संगठित करने, पेशेवर क्रांतिकारियों की भर्ती, विद्रोह के लिये धन जुटाने, भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिये शहरी आश्रय बनाने हेतु मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में यह 'फ्रंट संगठन' के रूप में भी जाना जाता है।

शहरी नक्सलवाद के मामले में शहर में रहने वाले शिक्षित व्यक्ति नक्सलियों को कानूनी और बौद्धिक समर्थन प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों का नेतृत्व और विशेषज्ञता हासिल करने पर ध्यान देने के साथ औद्योगिक श्रमिकों तथा शहरी गरीबों को संगठित करने, अग्रणी संगठनों की स्थापना, छात्रों, मध्यम वर्ग के कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों समेत समेकित संगठनों के 'कुशल संयुक्त मोर्चों' का निर्माण करने तथा कर्मियों को तकनीकी सामग्री तथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के साथ ही सैन्य गतिविधियों में शामिल होने पर जोर देते हैं। शहरी नक्सलियों का मुख्य एजेंडा शहरों में नक्सलवाद का गुणगान करना और लोगों को नक्सली विचारधारा से जोड़ना है तथा विकास के किसी भी दावे को झुठलाना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में बाधा डालकर किसी भी रूप में विकास कार्यों को रोकने का प्रयास (उदाहरण के लिये बांध निर्माण, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं आदि के खिलाफ पीआईएल दायर करके)। देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ (उदाहरण के लिये आरटीई, पाठ्य पुस्तकों में मार्क्सवादी प्रचार आदि)। देश की कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना आदि।

शहरी नक्सलवाद के कारण

भारत में नक्सलवाद के अनेक कारण हैं जो निम्न हैं-

- केंद्र और राज्य सरकारें माओवादी हिंसा को अधिकांश रूप से कानून-व्यवस्था की समस्या मानती रही हैं, लेकिन इसके मूल में गंभीर सामाजिक-आर्थिक कारण भी रहे हैं।
- नक्सलियों का यह कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिये लड़ रहे हैं, जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है और वे जमीन का अधिकार तथा संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल हैं और यहाँ जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं, साथ ही इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा के दोहन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
- यहाँ न सड़कें हैं, न पीने के लिये पानी की व्यवस्था, न शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ और न रोजगार के अवसर।
- नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सली, सरकार के विकास कार्यों को चलने ही नहीं देते और सरकारी तंत्र उनसे आतंकित रहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार विकास के नाम पर उनकी सभ्यता तथा संस्कृति को दूषित कर रही है। वे आदिवासी क्षेत्रों का उचित विकास नहीं होने, उनके अधिकार न मिलने पर हथियार उठा लेते हैं। इस प्रकार वे लोगों से वसूली करते हैं एवं समांतर अदालतें चलाते हैं।
- प्रशासन तक पहुँच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच गठबंधन को मजबूत बनाया। जानकार मानते हैं कि नक्सलवादियों की सफलता की वजह उन्हें स्थानीय स्तर पर मिलने वाला समर्थन रहा है,।

प्रभाव

- वास्तव में नक्सली और वामपंथी सैद्धांतिक रूप से भारत को एक कृत्रिम देश मानते हैं। उनके अनुसार भारत एक दमनकारी साम्राज्यवादी संरचना है। इस तरह के नक्सल विचारधारा की वजह से देश में विभिन्न राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं को जन्म दे सकता है जो आगे चलकर एक बड़े जन आन्दोलन में तब्दील हो सकता है।
- शहरी नक्सलवाद देश के आंतरिक सुरक्षा को व्यापक रूप से चुनौती दे रहा है जिससे देश की एकता व अखण्डता को बनाये रखना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है।
- आज नक्सलवादी विचार-धारा ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरी क्षेत्रों में रूख कर रहा है जो स्कूलों, कॉलेजों विभिन्न राजनीतिक संगठनें में अपनी पैठ जमा रहा है। जिससे सरकार विरोधी संगठनों में वृद्धि हो रही है।
- शहरी नक्सलवाद आज आदिवासियों तथा जनजातियों के कल्याण के नमा पर विदेशों से पैसे इक्ट्ठा कर अपना हित साध रहे हैं जिससे नकसली समूहों को अवैधरूप से धन तथा हथियार मुहैया कराया जा रहा है।
- आज नक्सलवाद राजनीतिक चुनौती के रूप में उभर रहा है जैसे- आदिवासियों या जनजातियों के लिए आवाज उठाने के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर आदि। इसी वजह से इससे सत्तापक्ष तथा विपक्ष में भी टकराव बढ़ता जा रहा है।
- चूंकि शहरी नक्सलवाद अदृश्य नक्सलवाद के रूप में उभर रहा है जिसको प्रशासनिक

तौर पर नियंत्रित करना बड़ा ही मुश्किल भरा कार्य है, क्योंकि ये अपने-अपने क्षेत्र के विद्वान तथा ख्यातिलब्ध विभूतियाँ है। इनके मानवाधिकारों का हनन न हो इसका भी ख्याल रखने के आड़ में इनकी गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो रहा है।

- आर्थिक रूप से भी नक्सलवाद की समस्या चुनौतिपूर्ण है क्योंकि अगर ये समस्या न होती तो इन पर होने वाले धन को अन्य कार्यों में खर्च किया जाता।

शहरी नक्सलवाद को अदृश्य शत्रु कहा जाता रहा है, जो देश और समाज के खिलाफ हथियार नहीं उठाते, लेकिन सिस्टम के खिलाफ धीरे-धीरे अविश्वास का माहौल पैदा करते रहते हैं। शहरी नक्सलियों की खासियत होती है कि समाज में इनकी हैसियत विद्वान और विचारक के तौर पर बनती है, लेकिन यह नक्सलियों की हिंसक लड़ाई को शहरों में बैठकर वैचारिक आधार प्रदान करते रहते हैं। शहरी नक्सलवाद खतरनाक इसलिये है क्योंकि इसने देश भर में कई लोगों और संस्थानों को अपने पक्ष में कर लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सही मायने में माओवाद को जिंदा रखने वाले बौद्धिक रूप से मजबूत विचारक पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी से भी ज्यादा खतरनाक हैं।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिये हलफनामे में यह भी कहा था कि ये माओवादी विचारक 'मास ऑर्गेनाइजेशन' या 'फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन' के जरिये शहरी आबादी के खास लक्षित वर्ग को एकजूट करने तथा मास ऑर्गेनाइजेशन मानवाधिकार संस्थाओं की आड़ में काम करते हैं।

नक्सलवादी, संगठनों को विचारधारा और भावना के साथ जोड़ते हैं जो देश की एकता और अखंडता को खुली चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं।

शहरी आंदोलन ने छात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों में माओवादी गुटों की ओर आकर्षित किया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन संगठनों ने शिक्षा क्षेत्र में भी जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया है तथा वे कई प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्रों को इस आंदोलन से जोड़ने में सफल भी हुए हैं। माओवादियों ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों समेत शहरी बौद्धिक और मध्यम वर्ग के बीच कुछ सहानुभूति और समर्थन प्राप्त कर लिया है।

वर्तमान परिदृश्य

गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के मुताबिक नक्सल समस्या की स्थिति चिंता का विषय होने के बावजूद हाल के वर्षों में नक्सली घटनाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार माओवादी घटनाओं में सुरक्षा बलों की हत्याओं में पहले की अपेक्षा 53 से लेकर 55 प्रतिशत तक गिरावट आई है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भी देखा जाए तो इसमें 40 प्रतिशत की कमी आई है। पहले देश के 10 राज्यों के 77 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे लेकिन गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, अब सिर्फ 30 जिले ही नक्सलवाद से प्रभावित हैं। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2017 में नक्सली घटनाओं में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है और इन घटनाओं में मौत का आँकड़ा भी 34 प्रतिशत तक कम हुआ है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, देश के 44 जिले नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटाए गए हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के 3 जिले (प्रकाशम, कर्नूल, अनंतपुर), छत्तीसगढ़ के 3 जिले (सरगुजा, कुरिया और जसपुर) तथा झारखंड के 2 जिले (देवघर, पाकुड़) शामिल हैं। इन 44 जिलों में सबसे ज्यादा तेलंगाना से 19 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटाया गया है।

निष्कर्ष

शहरी नक्सलवाद अपने आप में जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक सरकार द्वारा इसको हथियार बनाकर उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करना या भय दिखाना है जो समाज के हाशिये पर रहने वालों की बात करते हैं। अतीत से ही यह देखा जा रहा है कि कई बार सरकारें उचित प्रावधानों को तोड़मरोड़ कर अपने पक्ष में लागू कर लेती हैं। चाहे वो आपातकालीन प्रावधान हो अथवा विभिन्न अपराध निवारक कानून से संबंधित प्रावधान। नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिससे केवल सरकार तथा सेना नहीं लड़ सकती बल्कि इस लड़ाई को पूरे देश को लड़ना होगा। ऐसे संगठनों के खिलाफ सीधी लड़ाई हमेशा मुश्किल भरी होती है क्योंकि ऐसे लोग हमारे बीच ही घुले मिले होते हैं इसलिये इनके साथ संवेदनशीलता और भावनाओं के साथ लड़ना पड़ता है।

2015 में केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि माओवादी होने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा रखना कोई अपराध नहीं है जब तक कि पुलिस उचित साक्ष्य न प्रस्तुत कर दे कि उसकी गतिविधियाँ गैरकानूनी हैं लेकिन ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा अवसर देखा गया है कि समय-समय पर सरकारी नीतियों और योजनाओं का मूल्यांकन तथा विश्लेषण करने वालों अथवा सरकार की नीतियों की आलोचना करने वालो के विरूद्ध सरकारी मशीनरी या कानूनों का दुरूपयोग किया जाता रहा है। जैसे- कार्टूनिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक आदि।

उपरोक्त तथ्यों को देखने से ऐसा लग रहा है कि कहीं भारत में लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर नहीं हो रहा है। इस लोकतांत्रिक मूल्यों को भी बनाये रखने की जरूतर है।

गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि वामपंथी चरमपंथी चुनौतियों से निपटने की रणनीति में शहरी नक्सलवाद से निपटने की योजना शामिल होनी चाहिये। राज्य सरकारों को माओवादी फ्रंट संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी। शहरों में बढ़ते नक्सली गतिविधियों का मुकाबला करने के लिये एक अलग बजट का प्रावधान किया जाना चाहिये।

आज युवाओं का वह तबका जो नक्सलवाद की चपेट में आ गया है, को समझाने की जरुरत है, उसे संवैधानिक व्यवस्था से जोड़ने की जरूरत है और इस काम को करने के लिये समाज को आगे आना होगा। इसके साथ-ही-साथ देश की लोकतांत्रिक मूल्यों को भी बनाये रखने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति : एक अवलोकन

प्र. लोकतंत्र से आप क्या समझते है? वर्तमान में लोकतंत्र की प्रासंगिकता पर उठे सवालों की चर्चा करते हुए इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दे।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- लोकतांत्रिक देश की कसौटियाँ
- लोकतंत्र की वर्तमान प्रणाली बनाम साम्यवादी प्रणाली
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में 15 सितम्बर 2018 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। वर्ष 2018 में इस दिवस का मुख्य विषय "Democracy under strain : Solution for a changing World" है।

लोकतंत्र का अर्थ

- वर्तमान में लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ लोगों का लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन नही बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर लोकतंत्र है। एक देश सही रूप में तभी लोकतांत्रिक है यदि देश में रहने वाले सभी लोगों को समान सामाजिक अवसर और प्रतिष्ठा प्राप्त हो, जब देश के सभी लोगों को समान आर्थिक अवसर मिलें और देश के सभी लोगों को राजनीति में समान भागीदारी प्राप्त हो।

सही मायनों में लोकतांत्रिक देशों की कसौटियाँ

- लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए।
- लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत-हार के समान अवसर हो।
- लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए।
- एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है।

लोकतंत्र के खिलाफ तर्क

वर्तमान विश्व में एक धारा है जो मानता है कि लोकतंत्र व्यवस्था सही नही है। वे इसको लेकर आमतौर पर निम्न तर्क देते हैं।

- लोकतंत्र का मतलब सत्ता की लालसा होता है।
- फैसले में देरी
- खर्चीली चुनाव प्रणाली
- भ्रष्टाचार
- अस्थिर सरकार
- सामान्यतः गलत चयन
- आर्थिक लोकतंत्र नही

आगे की राह

- लोकतंत्र हमारी सभी समस्याओं का समाधान नही कर सकती लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हे हम जानते हैं। ■

ब्लू इकोनॉमी का बढ़ता महत्व

प्र. ''हाल ही में संपन्न बिम्सटेक सम्मेलन में 'निली अर्थव्यवस्था' (Blue Economy) की अहमियत पर विशेष जोर दिया गया है।'' इस कथन के संदर्भ में निली अर्थव्यवस्था की वैश्विक परिदृश्य में बढ़ती प्रासंगिकता की समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है ब्लू इकोनॉमी?
- पृष्ठभूमि
- उद्देश्य
- ब्लू इकोनॉमी महत्वपूर्ण क्यों है?
- सरकारी प्रयास
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में संपन्न बिम्सटेक सम्मेलन में नीली अर्थव्यवस्था की अहमियत पर विशेष जोर दिया गया।
- बिम्सटेक देशों ने बिना समुद्री सीमाओं वाले सदस्य देशों की विशिष्ट जरूरतों एवं पारिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीली अर्थव्यवस्था पर एक कार्य योजना तैयार करने के लिए एक अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह गठन करने का निर्णय लिया है।

क्या है ब्लू इकोनॉमी?

- विश्व बैंक के अनुसार 'ब्लू इकोनॉमी', आर्थिक विकास उन्नत आजीविका एवं रोजगार तथा महासागरीय पारितंत्र स्वास्थ्य के लिए महासागरीय संसाधनों का सतत् उपयोग है।
- भारतीय संदर्भ में 'ब्लू इकोनॉमी' समुद्र आधारित आर्थिक विकास जो उन्नत मानवीय रहन-सहन एवं सामाजिक समानता की ओर ले जाता है, साथ ही पर्यावरणीय जोखिमों एवं पारितंत्रीय संकटों को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है।

पृष्ठभूमि

- ब्लू इकोनॉमी को अवधारणा का वर्ष 2010 में गुंटरपाली की पुस्तक 'द ब्लू इकोनॉमी: 10 ईयर्स, 100 इनोवेशंस, 100 मिलियन जॉब्स' से प्राथमिकता मिली।
- इसके पश्चात रियो+20 सम्मेलन (2012) में संयुक्त राष्ट्र संघ के कई देशों ने सागरों एवं समुद्रों की जैव विविधता को बनाए रखने, सतत् उपयोग, सुरक्षा एवं पुनर्बहाली के लिए शपथ लिया।

उद्देश्य

- दरअसल ब्लू इकोनॉमी केवल आर्थिक विकास का तंत्र नहीं है वरन् यह सागरीय संसाधनों की सततता के सथ उसके स्वास्थ्य को बेहतर हालात में बनाए रखने की जरूरत पर बल देता है।
- विश्व बैंक ने रेखांकित किया है कि 'ब्लू इकोनॉमी' का भविष्य आर्थिक विकास के लिए महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग महासागरीय पारितंत्र, स्वास्थ्य, सुधरा आजीविका एवं रोजगार पर निर्भर करता है।

ब्लू इकोनॉमी महत्वपूर्ण क्यों?

- संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुसार विश्व के महासागरों मे विभिन्न गतिविधियों का आर्थिक मूल्य 3 ट्रिलियन डॉलर से 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है यह विश्व की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित रूप में महत्पूर्ण योगदान करता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र सजीव एवं निर्जीव दोनों प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को महत्वपूर्ण गति दे सकता है।

सरकारी प्रयास

- ब्लू इकोनॉमी के बारे में भारत की महत्ता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ''मेरे लिए भारत के राष्ट्रीय झंडे में नीला चक्र, नीली क्रांति या महासागरीय अर्थव्यवस्था की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसके अलावा सरकारी प्रयासों में, सागर विजन, सागरमाला परियोजना, डीपसी मिशन, ब्लू इकोनॉमी पर 'आसियान-भारत' वर्कशॉप, अन्य विभिन्न परियोजनाएँ आदि को दर्शाए।

निष्कर्ष

- हिन्द महासागर जो विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है और लगभग 2 अरब से अधिक लोगों के लिए आर्थिक जीवन रेखा के रूप में करता है। लेकिन इस क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, आतंकवाद, चोरी और अवैध तस्करी तथा गैर पारंपरिक चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ शामिल है इसलिए हिन्द महासागर में एक मजबूत शासन और सुरक्षा अवश्यक है। ■

भारत-यूरोप संबंध का नया दौर

प्र. हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने 2-9 सितंबर के बीच तीन यूरोपीय देशों साइप्रस, बुल्गारिया तथा चेक रिपब्लिक की यात्रा संपन्न की। ये यात्रा यूरोपीय संघ के देशों से भारत के मजबूत संबंधो के नये आयाम स्थापित करने में कितना प्रासंगिक है?- समीक्षा कीजिए

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- तीनों देशों के साथ संपन्न समझौते
- इस यात्रा का महत्व
- भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने 2-9 सितंबर के बीच तीन यूरोपीय देशों की आधिकारिक यात्रा संपन्न की।
- इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कोविन्द ने यूरोपीय देशों के प्रमुखों से वार्ता किये ताकि इन देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूती के नए आयाम स्थापित किये जा सके।

तीनों देशों के मध्य सम्पन्न समझौते

- भारत और साइप्रस के बीच हुए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समझौते से दोनों देशों के बीच निवेश के क्षेत्र में मदद मिलेगी।
- भारत और बुल्गारिया के बीच आपस में निवेश, पर्यटन सहयोग, असैनिक परमाणु अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक साथ काम करना तथा हिन्दी के अध्ययन हेतु आईसीसीआर तथा सोफिया विश्वविद्यालय के बीच मजबूत भागीदारी को बढ़ाना है।
- चेक गणराज्य आधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त मजबूत विनिर्माण आधार वाला देश है जो भारत के 'मेक इन इंडिया', डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और दूसरे कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है।

इस यात्रा का महत्व

- हवाला को रोकने के अतिरिक्त, निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, नवाचार और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी कई सहमति पत्रों और समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।
- इन देशों का महत्व इनकी भू-सामरिक स्थिति में विद्यमान है। चेक रिपब्लिक यूरोपीय महाद्वीप के केन्द्र में स्थित है, साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर से यूरोप का प्रवेश द्वारा है और बुलगारिया काला सागर से दक्षिण-पूर्वी यूरोप का प्रवेश स्थल है।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध

- भारत ओर यूरोपीय संघ के बीच संबंधों की शुरूआत 1962 में हुई, जब भारत ने यूरोपीय संघ से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए।
- यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है, भारत का 13.7 प्रतिशत व्यापार यूरोपीय संघ से होता है।

निष्कर्ष

- भारत यूरोपीय संघ संबंध वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक महत्व रखता है। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक या सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में दोनों पक्षों में हाल के वर्षों में प्रगाढ़ता आयी है। राजनीतिक मोर्चों पर भी यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में भारत की क्षेत्रीय भूमिका को स्वीकार किया है लेकिन भारत और यूरोपीय संघ को अभी तक लम्बा सफर तय करना है। इसके लिए आवश्यक है कि यूरेपीय देशों या यूरोपीय संघ के मध्य संपन्न विभिन्न समझौतों पर अमल किया जाए। ■

पीएम–आशा कार्यक्रम : किसानों की समृद्धि का उपकरण

प्र. पीएम-आशा कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम से किसानों को किस प्रकार लाभ होगा एवं यह कार्यक्रम 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने में कहाँ तक सफल होगी? चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- मुख्य घटक
- आवश्यकता क्यो?
- सरकारी प्रयास
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- सरकार की किसान अनुकूल पहलों को अधिक बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्नदाता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना पीएम-आशा योजना को मंजूरी दी है।

मुख्य घटक

- मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS), तथा निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (PPSS) आदि।

आवश्यकता क्यों?

- किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिये।
- फसल उत्पादन बढ़ाने तथा फसल सुरक्षा के लिए।
- कृषि की तरफ लोगों का रूझान बढ़ाने के लिए।

सरकारी प्रयास

- इसके लिये अनेक बाजार सुधारों को लागू किया गया है। इनमें मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 और मॉडल अनुबंध खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 भी शामिल है।
- किसानों के हितो के लिए सरकार ग्रामीण कृषि बजारों की स्थापना भी कर रही है ताकि खेतों के काफी निकट ही 22,000 खुदरा बाजारों को प्रोत्साहित किया जा सके।

निष्कर्ष

- पीएम-आशा योजना सरकार के द्वारा किसानों के लिए एक क्रांतिकारी योजना साबित हो सकती है यदि इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो। अतः सरकार को योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना होगा। ■

भविष्य में रोजगार के लिए नए कौशल विकास की आवश्यकता

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत है कि तकनीकी में उन्नयन और नवाचार के साथ ही मानव कौशन से जुड़े कामों में मशीनों की हिस्सेदारी भारत को प्रभावित कर सकती है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा के कारण
- भारत पर प्रभाव
- नकारात्मक
- सकारात्मक
- भारत के समक्ष चुनौतिया
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा हाल ही में 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 तक 50% से अधिक नौकरियों पर स्वचालित मशीनों का कब्जा होगा।

भारत पर प्रभाव

नकारात्मक

- भारत का मानव संसाधन प्रभावित होगा।
- भारत के लिहाज से रोबोट व अन्य आधुनिकृत मशीनों को रखना खर्चीला है।
- भारतीय घरों की जटिल सरंचना रोबोट और आधुनिक मशीनों के विकास में बाधक है।
- एचएफएस की रिपोर्ट।
- मैकिंजी एंड कंपनी का अध्ययन।

सकारात्मक

- नई तकनीकों के आने से भारत अपने ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में जिन दो कारणों से अनुबंधों के प्रवर्तन और संपत्ति के पंजीकारण में, 190 देशों के बीच 164वें और 154वें स्थान पर है; उसमें सुधार होगा।

- 2030 तक विश्व की अर्थव्यवस्था में अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 15.7 खरब डॉलर के योगदान का अनुमान है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की तकनीकी स्थिति, अनुकूल जनसांख्यिकीय एवं एडवांस डाटा की उपलब्धता के संरचनात्मक लाभ को देखते हुए ए आई के क्षेत्र में भारत अग्रणी हो सकता है।

चुनौतियाँ

- कम्प्यूटर प्रोग्राम वाली मशीनों, रोबोटों की गति के साथ तालमेल बिठाते हुए मानव श्रम के कौशल में निखारना होगा।
- मानव श्रम की नई भूमिकाओं की गुणवत्ता, स्थान, स्वरूप और स्थायित्व में महत्वपूर्ण बदलावों के लिए तैयार रहना होगा।

आगे की राह

- अटल अन्वेषण मिशन पर बल देना होगा।
- कौशल उन्नयन पर बल
- औद्योगिकी क्रांति के नए दौर को आत्मसात् करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना होगा।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे सामाजिक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में नई तकनीकों की मदद से हम जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास सूचकांक में वृद्धि कर सकते हैं। ■

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान : तापन में कमी

प्र. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या है? इसके उद्देश्य की चर्चा करते हुए इससे होने वाले लाभों को बताएं।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का करण
- क्या है?
- पृष्ठभूमि
- आईसीएपी के लक्ष्य
- आवश्यकता क्यों?
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में 17 अक्टूबर 2018 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान अर्थात् भारत की शीतलीकरण कार्रवाई योजना का प्रारूप निर्गत किया है।

क्या है?

- शीतलीकरण कार्रवाई योजना, शीतलीकरण की ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जिससे लोगों को आराम तो मिले ही अपितु पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी न पड़े।

पृष्ठभूमि

- ओजोन परत में क्लोरीन और ब्रोमीन के बढ़ते खतरे से सीएफसी तथा अन्य गैसों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिये कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किये गये हैं।
- ओजोन एक ग्रीनहाऊस गैस है, तथा यह ओजोन परत के टूटने और जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाती है।

आईसीएपी के लक्ष्य

- सभी प्रक्षेत्रों में शीतलीकरण के मांग को 2037-38 तक 20-25% तक घटाना।
- 2037-38 तक शीतलीकरण पर होने वाले बिजली के खर्च को 25 से 40% तक घटाना।
- वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास के लिये एक अनुसंधान एवं विकास नवाचार पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना।

आवश्यकता क्यों?

- बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिये।
- ऊर्जा उत्सर्जन को कम करने के लिये।
- पर्यावरण को स्वच्छ और टिकाऊ बनाने के लिये।
- नागरिकों को आरामदायक व स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये।

आगे की राह

- ओजोन क्षरण को बचाने के लिये क्लोरोफ्लोरो कार्बन जैसी गैसों का उत्सर्जन कम हो, इसके लिए मॉंट्रियल प्रोटोकाल जैसी संधियों को कठोरता से लागू करना आवश्यक है।
- किंगाली संशोधन जो 1 जनवरी 2019 को लागू होगा इस पर विश्व के सभी देशों को सहयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष

- बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के लिए मानव ही सबसे अधिक जिम्मेदार है इसलिए इसके निराकरण के लिये मानव को आगे आना होगा। शहरों का जीवन दिन-प्रतिदिन कष्टदायक होते जा रहा है अत: आवश्यकता इस बात की है कि ऊर्जा उत्सर्जन को कम से कम करके पर्यावरण प्रदूष्ण को कम किया जाय। आईसीएपी कार्यक्रम इस प्रयास को सफल बनाने में महत्पूर्ण भूमिका निभाएगी। ■

शहरी नक्सलवाद : वास्तविक संकट अथवा बनावटी डर

प्र. शहरी नक्सलवाद क्या है? यह नक्सलवाद अपने मूल सिद्धान्तों से किस प्रकार भिन्न है? क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती है मूल्यांकन कीजिए?

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- शहरी नक्सलवाद क्या है?
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- शहरी नक्सलवाद के कारण
- प्रभाव
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में नक्सलवादी लिंग के कारण पूणें की पुलिस ने जनवरी में हुए भीमा कोरेगाँव दंगों के मामले में पाँच लोगों को गिरफ्तार किया है जिससे एक बार फिर ''शहरी नक्सलवाद के बढ़ते प्रसार पर बहश शुरू हो गई है।
- सुरक्षा एजेंन्सियों का मानना है कि नक्सलवाद का पुराना हो चुका नेतृत्व अब शहरों और कस्बों की ओर दिख रहा है।

शहरी नक्सलवाद क्या है?

- शहरी नक्सलवाद से तात्पर्य ऐसे नक्सलवादी समूह से है जो गाँवों से निकलकर शहरों में अपनी पैठ जमा रहे हैं जिनमे वकील, लेखक, मानवाधिकार सामाजिक कार्यकर्ता ओर फिल्मकार शामिल हैं। इन संगठनों में ऐसे कार्यकर्ता शामिल होते हैं, जो ज्यादातर मानवाधिकार, गैर-सरकारी संगठनों के अंतर्गत काम करते हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत में नक्सलवाद की शुरूआत पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जलिंग के नक्सलवाड़ी क्षेत्र में 1967 में एक किसान विद्रोह के रूप में हुआ था।
- 1969 में नक्सलवादी सीपीआई (एम) से अलग हो गये और इन्होंने सीपीआई (मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम से एक नई पार्टी बनाई।

वर्तमान परिदृश्य

- गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के मुताबिक नक्सल समस्या की स्थिति चिंता का विषय होने के बावजूद हाल के वर्षों में नक्सल समस्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2017 में नक्सली घटनाओं में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। इन घटनाओं में मौत के ऑकड़ों में 34 प्रतिशत की कमी हुई है।

शहरी नक्सलवाद के कारण

- केन्द्र और राज्य सरकारें माओवादी हिंसा को अधिकांश रूप से कानूनी व्यवस्था की समस्या मानती रही है।
- माओवाद प्रभावित अधितर इलाके आदिवासी बहुल हैं और यहाँ जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है।

प्रभाव

- शहरी नक्सलवादी को अदृश्य शत्रु कहा जाता है जो देश और समाज के खिलाफ हथियार नहीं उठाते, लेकिन व्यवस्था के खिलाफ धीरे-धीरे अविश्वास का माहौल पैदा करते रहे हैं।
- शहरी नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा को व्यापक रूप से चुनौती दे रहे हैं जिससे देश की एकता व अखण्डता को बनाये रखना एक बड़ी चुनौती शाबित हो रही है।

निष्कर्ष

- गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि वामपंथी चरमपंथी चुनौतियों से निपटने की रणनीति में शहरी नक्सलवाद से निपटने की योजना शामिल होनी चाहिए इसके साथ ही देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को भी बनाये रखने की जरूरत है। ■

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336039 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. मैन पोर्टेबल ऐंटी–टैंक गाइडेड मिसाइल

भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किए गए मैन पोर्टेबल ऐंटी-टैंक गाइडेड ब्मिसाइल (एमपीएटीजीएम) का 16 सितम्बर 2018 को महाराष्ट्र के अहमदनगर रेंज पर सफल परीक्षण किया गया।

इसका पहला परीक्षण 15 सितम्बर 2018 को किया गया था। यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। इसे पूरी तरह भारत में ही विकसित किया गया है। इस परीक्षण से सभी मिशन उद्धेश्यों को पूरा किया गया है। दो मिशनों को अधि कतम सीमा क्षमता सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कर पूरा किया गया।

मिसाइल की विशेषता

- यह मिसाइल भारत की नाग मिसाइल सीरीज का हिस्सा है। आसानी से ले जा सकने वाले इस मिसाइल से टैंक को ध्वस्त किया जा सकता है।
- इस तरह के हथियार होने से दुर्गम जगहों पर भी दुश्मनों के टैंक और अन्य ठिकानों को उड़ाने में सेना को काफी मदद मिलेगी।
- ये मिसाइल कंधे पर रखकर चलाई जा सकती है।
- कंधे पर रखकर चलाए जा सकने वाले इस मिसाइल की रेंज क्षमता 4 किलोमीटर तक हो सकती है।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मिसाइल का अलग-अलग रेंज और अधिकतम रेंज क्षमता के लिए परीक्षण किया गया।

ये दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइलो में शामिल है और सफल परीक्षण के बाद इसे फ्रांस निर्मित उन मिसाइलों की जगह पर इस्लेमाल किया जाएगा जिन्हें भारत इससे पहले इस्तेमाल करता आया है। वहीं, इसके आने के बाद सोवियत रूस के दौर से इस्तेमाल हो रही मिसाइलों को भी स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ■

2. ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2018

18 सितंबर, 2018 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में न्यूयॉर्क में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2018 जारी की है। इस रिपोर्ट में टीबी के बारे में व्यापक और नवीनतम आकलन दिया गया है। डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वभर के देशों को टीबी की रोकथाम के लिए जो उपाय करने चाहिए, वह अभी भी नहीं किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, इस रिपोर्ट में यह जानकारी भी दी गई है कि वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इस बीमारी को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं एवं उनमें क्या प्रगति आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में पिछले वर्ष एक करोड़ लोग टीबी से पीड़ित हुए, जिनमें 27 प्रतिशत लोग भारत से हैं। रिपोर्ट में 2030 तक क्षय रोग (टीबी) को समाप्त करने के लिए पर्याप्त राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के असाधारण आंदोलन की मांग की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि वैश्विक प्रयासों ने 2000 से अनुमानित 54 मिलियन टीबी की मौतों को रोका है। टीबी दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारी है।

डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य

- रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर आकलन के मुताबिक वर्ष 2017 में एक करोड़ लोगों को टीबी हुई, इनमें से 58 लाख पुरुष, 32 लाख महिलाएं और दस लाख बच्चे हैं।
- विश्वभर में टीबी के कुल मरीजों में दो तिहाई आठ देशों में हैं। इनमें से भारत में 27 प्रतिशत मरीज हैं।
- चीन में 9 प्रतिशत, इंडोनेशिया में 8 प्रतिशत, फिलीपींस में 6 प्रतिशत, पाकिस्तान में 5 प्रतिशत, नाइजीरिया में 4 प्रतिशत, बांग्लादेश में 4 प्रतिशत तथा दक्षिण अफ्रीका में 3 प्रतिशत लोग टीबी की बीमारी से पीड़ित हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया कि टीबी के कारण प्रतिदिन लगभग 4,000 लोगों की जान चली जाती है।
- डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में रोगों से होने वाली मौत की दसवीं सबसे बड़ी वजह टीबी है।

गोरतलब है कि रूसी संघ में, उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता और तीव्र टीबी प्रयासों से मामलों में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है और मृत्यु में 13 प्रतिशत की गिरावट आई है।

- इन सभी प्रयासों के बावजूद, दवा प्रतिरोधी टीबी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनी हुई है।
- अधिकांश लोगों में मल्टीड्रग्स-प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर-टीबी) था, जो रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड दवाओं के संयुक्त प्रतिरोध थे। ■

3. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कवर किये जाने वाले बीमित व्यक्तियों (आईपी) के लिए 'अटल बीमित कल्याण योजना' नामक एक योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत बीमित व्यक्तियों के बेरोजगार होने पर नकद राहत मिलेगी।

ईएसआई निगम ने 18 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवाल की अध्यक्षता में आयोजित 175वीं बैठक में बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को उपलब्ध कराई जाने वाली अपनी सेवाओं तथा लाभों में बेहतरी की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

जिसके तहत रोजगार पद्धति में बदलाव तथा भारत में रोजगार के वर्तमान परिदृश्यी, जो अनुबंध एवं अस्थासयी कर्मचारियों के रूप में दीर्घकालिक रोजगार से निर्धारित अल्पोवधि नियुक्ति में रूपांतरित हो गया है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी जाने की स्थिति में और

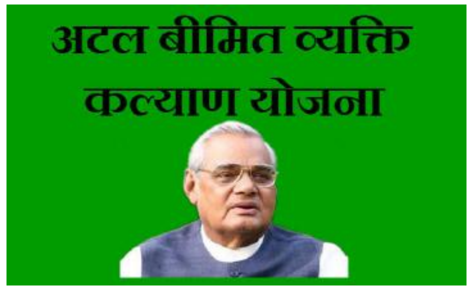

नए रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- ईएसआई निगम ने कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति दस रुपये की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिससे कि उनके श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के ईएसआईसी डाटा बेस में आधार (यूआईडी) के जोड़े जाने को प्रोत्साहित किया जा सके। यह कदम एक ही बीमित व्यक्ति के विविध पंजीकरणों में कमी लाएगा तथा दीर्घकालिक अंशदायी स्थितियों के लिए आवश्यक लाभ उठाने में उन्हें सक्षम बनाएगा।
- ईएसआई निगम ने सुपर स्पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने के लिए अर्हता स्थितियों में रियायत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसमें पहले के दो वर्षों के बीमा योग्य रोजगार अवधि को घटाकर छह महीने कर दिया गया है और इसमें केवल 78 दिनों के अंशदान की आवश्यकता होगी।
- बीमित व्यक्तियों के आश्रितों के लिए सुपर स्पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने की अर्हता में छूट देकर अब इसे एक वर्ष के बीमा योग्य रोजगार तक घटा दिया गया है, जिसमें 156 दिनों का अंशदान होगा। इस छूट से बीमित व्यक्तियों एवं उनके लाभार्थियों को संशोधित अर्हता के अनुसार निःशुल्क सुपर स्पेशियलिटी उपचार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
- ईएसआई निगम ने बीमित व्यक्तियों की मृत्यु पर भुगतान किए जाने वाले अंत्येष्टि व्यय में बढ़ोतरी कर इसे वर्तमान 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। ■

4. स्वच्छता ही सेवा अभियान का आरंभ

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 15 सितंबर 2018 को पीएम मोदी ने देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरूआत की। यह अभियान 15 सितंबर से 02 अक्टूबर (गांधी जयंती) तक चलेगा। पीएम मोदी इन कार्यकर्मों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जगह-जगह संबोधित कर रहें हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये देश के अलग-अलग 18 स्थानों पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से संवाद किया है।

महत्वपूर्ण बाते

- यह अभियान 2 अक्टूबर, 2018 को स्वच्छ भारत मिशन की चौथी वर्षगांठ से ठीक पहले आयोजित किया जा रहा है। यह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जुड़े समारोहों के शुभारंभ को भी दर्शाता है। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करना है।
- 76 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता कार्य योजना को विकसित किया गया है।
- अंतर-मंत्रिस्तरीय परियोजनाओं में स्वच्छता पखवाड़ा, नमामि गंगे, स्वच्छता कार्य योजना, स्वच्छ-स्वस्थ-सर्वत्र अभियान, स्कूल स्वच्छता अभियान, आंगनवाड़ी स्वच्छता अभियान, रेलवे स्वच्छता जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।
- अंतर-क्षेत्रीय सहयोग में स्वच्छ विख्यात स्थान, उद्योग जगत की भागीदारी, परस्पर धर्म सहयोग, मीडिया अनुबंध और संसद अनुबंध जैसे कार्य शामिल हैं।
- इंटरनेट आधारित पोर्टल बनाए गए हैं ताकि प्रगति की निगरानी की जा सके और कार्यान्वयन स्थिति को रेखांकित किया जा सके।
- प्रधानमंत्री ने सबसे पहले देश के पूर्वी इलाके असम के डिब्रूगढ़ के स्वच्छताग्रहियों से संवाद स्थाहपित किया।
- पीएम ने अपने वीडियो संदेश में सभी से 'स्वच्छता ही सेवा' आंदोलन का हिस्सा बनने और स्वच्छ भारत बनाने के प्रयासों को मजबूत करने का आग्रह किया। ■

5. प्रहार मिसाइल का सफल परीक्षण

20 सितंबर, 2018 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), बालासोर (ओडिशा) से स्वदेश निर्मित सामरिक मिसाइल प्रहार का सफल परीक्षण किया। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह ठोस ईंधन से युक्त कम दूरी वाली मिसाइल है। प्रहार मिसाइल एक समकालीन हथियार प्रणाली

है जो कई प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है। यह 1280 किग्रा. वजनी एवं 7.3 मीटर लंबी है। यह 200 किग्रा. के पारंपरिक युद्धशीर्ष को ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल विभिन्न दिशाओं में कई लक्ष्यों को साध सकती है। ■

6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

एक अक्टूबर से आरम्भ होने वाली रबी बुआई को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के मार्गनिर्देशों में कतिपय संशोधन किये।

संशोधित मार्गनिर्देश

राज्यों और बीमा कंपनियों को बीमा के दावों के निपटान में विलम्ब करने पर जुर्माना देना होगा।

- बीमा कंपनियों के मूल्यांकन के लिए एक मानकीकृत संचालन प्रक्रिया का सुझाव दिया गया है और यह निर्देश दिया गया है कि यदि कोई कंपनी इस प्रक्रिया में योग्य पाई जाती है तो उसको योजना से बाहर कर दिया जायेगा।
- सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सदाबहार बागवानी फसलों को प्रायोगिक आधार पर फसल बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा।
- नए मार्ग निर्देशों के अनुसार जंगली पशुओं के कारण फसल में हुई क्षति को भी प्रायोगिक तौर पर बीमा योजना के अन्दर लाया जाएगा।
- लाभार्थियों को दोहरा लाभ नहीं मिल जाए इससे बचने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बना दिया गया है।
- अब बीमा कंपनियों को पिछले मौसम की तुलना में 10% अधिक गैर-ऋण प्राप्तकर्ता किसानों को लक्षित करना होगा।
- बीमा कंपनियों को प्रधानमंत्री बीमा योजना के प्रचार-प्रसार पर हर मौसम में कुल प्रीमियम का 0.5% का व्यय करना अनिवार्य होगा।
- अप्रैल 2016 में भारत सरकार ने पुरानी बीमा योजनाओं, जैसे- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को वापस लेते हुए एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आरम्भ किया था। इस बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है। इसमे वार्षिक नकदी और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की दर 5% होती है। जिन किसानों ने बैंकों से ऋण लिया है उनके लिए यह योजना अनिवार्य है और जिन्होंने नहीं लिया है, उनके लिए यह वैकल्पिक है।

उद्देश्य

- अप्रत्याशित कारणों से फसल की क्षति के शिकार किसानों को आर्थिक सहारा देना।
- किसानों की आय को बनाए रखना जिससे कि वे खेती करना नहीं छोड़ें।
- किसानों को अभिनव एवं आधुनिक कृषि प्रचलन अपनाने के लिए उत्साहित करना।
- कृषि प्रक्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना जिससे खाद्य सुरक्षा, फसलों की विविधता, उत्पादन में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा हो। ■

7. झूम खेती

नीति आयोग ने हाल ही में कृषि मंत्रालय को यह अनुशंसा की है कि झूम खेती पर एक अभियान आरम्भ किया जाए जिससे विभिन्न मंत्रालयों के बीच इस विषय में तालमेल बिठाया जा सके।

झूम खेती को काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं। इसमें फसल लगाने के पहले किसी भूमि पर स्थित पेड़ों और घास-फूस को साफ कर दिया जाता है और उसके बाद जला दिया जाता है। इस प्रकार जली हुई मिट्टी में पोटाश होता है, जिसके कारण मिट्टी की पोषकता बढ़ जाती है। झूम खेती की प्रथा पूर्वोत्तर भारत में प्रचालन में है।

झूम खेती से जुड़ी समस्याएँ

नीति आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 2000-2010 के बीच झूम खेती में उपयोग होने वाली भूमि 70% घट गई है। पहले ऐसा होता था कि किसान जिस भूमि पर खेती छोड़ देते थे उस पर दुबारा दस-बारह वर्ष में ही लौटते थे। परन्तु अब यह देखा जा रहा है कि वे 3-5 वर्ष के भीतर ही उस भूखंड पर लौट आते हैं जिसका फल यह होता है कि मिट्टी की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रह जाती है। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. एशिया प्रशांत नीति समूह

एशिया प्रशांत नीति समूह के अनुसार हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद की फंडिंग पर की गयी कारवाई संतोषजनक नहीं है। आतंकवाद फंडिंग को रोकने में असफल रहने के कारण पाकिस्तान को फरवरी 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। एशिया प्रशांत नीति समूह ग्रे और ब्लैक लिस्ट देशों के मामलों को अवलोकन करता है।

पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया फरवरी 2018 में शुरू हुई थी। पाकिस्तान के विरुद्ध यह प्रस्ताव अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अमेरिका ने इस पर कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। भारत ने भी अमेरिका के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। पाकिस्तान 2012 से 2015 तक वाच लिस्ट (केवल मनी लॉन्डरिंग के लिए) पर था।

महत्वपूर्ण बाते

एशिया प्रशांत नीति समूह द्वारा यह अवलोकन सितम्बर 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था। इसमें यह पाया गया कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों की फंडिंग रोकने के लिए (जैसे परिसंपत्ति को फ्रीज) कोई विशेष प्रयास नही किये हैं। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा 26 बिन्दुओं वाले एक्शन प्लान का अनुपालन भी नही किया गया। इस एक्शन प्लान का उद्देश्य आतंकवादी संगठनों की फंडिंग को रोकना है। इस अवोलोकन के आधार पर एशिया प्रशांत नीति समूह अपनी रिपोर्ट अक्टूबर, 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सौंपेगा। इसके बाद अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

मनी लॉन्डरिंग के लिए एशिया प्रशांत नीति समूह

यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय संगठन है। यह एक अंतरसरकारी संगठन है। इकसी स्थापना 1997 में थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में की गयी थी। यह संगठन मनी लॉन्डरिंग तथा आतंकवाद के लिए फंडिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निश्चित करता है। ■

2. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)

हाल ही मे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) ने घोषणा की है कि वह नई दिल्ली में अपना दक्षिण एशिया क्षेत्र कार्यालय और प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) संयुक्त राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र) की एक एजेंसी है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में दूरसंचार संचालन और सेवाओं का समन्वय करना है। मूल रूप से 1865 में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ यूनियन के रूप में स्थापित, आईटीयू सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय संगठन है। आईटीयू मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बाते

- आईटीयू रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह, टेलीफोन और इंटरनेट सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार और प्रसारण प्रौद्योगिकियों के लिए प्रासंगिक नियमों और मानकों को सेट और प्रकाशित करता है।
- संगठन वर्तमान और भविष्य के मुद्दों को संबोधित करने और विवादों को हल करने के लिए कार्यरत पार्टियों, अध्ययन समूहों और बैठकों का आयोजन करता है। आईटीयू हर चार साल में ग्लोबल टेलीकॉम के नाम से जाना जाने वाला एक प्रदर्शनी और मंच आयोजित करता है।
- आईटीयू के जनादेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू उभरते देशों में दूरसंचार प्रणालियों को स्थापित करने और विकसित करने में मदद करना है।
- हालांकि आईटीयू की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन अधिकांश देश प्रभावी अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक संचार वातावरण को बनाए रखने के हित में उनका पालन करते हैं। ■

3. विश्व बैंक ने भारत के लिए साझेदारी ढांचे को मंजूरी दी

विश्व बैंक बोर्ड ने भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी पांच वर्षीय देश साझेदारी ढांचे (CPF) का समर्थन किया है। यह नई दिल्ली के टिकाऊ और समावेशी विकास के उद्देश्यों के साथ संरेखित है। ढांचे से भारत को वित्तीय सहायता में 25 से 30 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त होने की उम्मीद है।

इस कदम का उद्देश्य संसाधन कुशल और समावेशी विकास, नौकरी निर्माण और अपनी मानव पूंजी के निर्माण जैसी कुछ प्रमुख विकास प्राथमिकताओं को संबोधित करते हुए उच्च मध्यम आय वाले देश में भारत के परिवर्तनकाल का समर्थन करना है। ■

4. वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में लघु मानव एसोफैगस विकसित की

वैज्ञानिकों ने पहली बार लघु एसोफैगस ओर्गनोइड (मानव खाद्य नली) को विकसित करने में सफलता प्राप्त की। इसका निर्माण प्रयोगशाला में प्लूरीपोटेंट स्टेल सेल्स की सहायता से किया गया। इससे भविष्य में आंत विकारों में दवाओं के परीक्षण में काफी सहायता मिलेगी। इससे रोगों के निदान में भी सफलता मिल सकती है। इससे जन्मजात विकास जैसे एसोफेगल अट्रेशिया, ओर्गनोइड, एसिनोफिलिक एसोफैगाईटिस और बेरेट्स मेटापलासिया के अध्ययन में भी सहायता मिलेगी।

एसोफैगस

ग्रासनली (एसोफैगस) लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी पेशीय नली होती है जो मुख के पीछे गलकोष से आरंभ होती है, सीने से थोरेसिक डायफ्रम से गुजरती है और उदर स्थित हृदय द्वार पर जाकर समाप्त होती है। ग्रासनली, ग्रसनी से जुड़ी तथा नीचे आमाशय में खुलने वाली नली होती है। इसी नलिका से होकर भोजन आमाशय में पहुंच जाता है।

ग्रासनली के शीर्ष पर ऊतकों का एक प्रवेश द्वारा होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं जो निगलने के दौरान बंद हो जाता है जिससे भोजन श्वासनली में प्रवेश न कर सके। चबाया गया भोजन इन्हीं पेशियों के क्रमाकुंचन के द्वारा ग्रासनली से होकर उदर तक पहुंच जाता है। ग्रासनली से भोजन को गुजरने में केवल सात सेकंड लगते हैं और इस दौरान पाचन क्रिया नहीं होती।

स्टेम कोशिका क्या होता है?

स्टेम कोशिका (Stem Cell) ऐसी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यदि हृदय की कोशिकाएं खराब हो गईं, तो इनकी मरम्मत स्टेम कोशिका द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार यदि आंख की कॉर्नियाँ की कोशिकाएं खराब हो जायें तो उन्हें भी स्टेम कोशिकाओं द्वारा विकसित कर प्रत्यारोपित किया जा सकता है।

5. प्लूटो ग्रह

हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया है कि जिन आधारों पर प्लूटो को ग्रह-वर्ग से निकाल दिया गया था वे गलत थे, अत: प्लूटो को फिर से ग्रह का दर्जा दिया जाना चाहिए। अंतराष्ट्रीय खगोलीय संघ (International Astronomical Union – IAU) के परिभाषा के अनुसार प्लूटो एक ग्रह नहीं है क्योंकि वह वरुण ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है।

प्लूटो (Pluto) या यम इस ग्रह को 2006 से पहले तक सौर मण्डल में उपस्थित नवग्रह में स्थान प्राप्त था लेकिन अगस्त 2006 किए गए शोध तथा अन्तराष्ट्रीय खगोल विज्ञान की सम्मेलन में प्लूटो (Pluto) का ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया

बौना ग्रह प्लूटो के बारे में महत्व पूर्ण जानकारी और तथ्य-

1. प्लूटो की खोज 1930 में अमेरिकी खगोलशास्त्री क्लाइड टॉमबौ ने की थी तथा इसे नौवें ग्रह का दर्जा दिया था।
2. साथ ही यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बन गया, इससे पहले बुध ग्रह को सबसे छोटे ग्रह का दर्जा प्राप्त था।
3. लेकिन अगस्त 2006 किए गए शोध तथा अन्तराष्ट्रीय खगोल विज्ञान की सम्मेलन में प्लूटो (Pluto) का ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया।
4. यम या प्लूटो सौर मण्डल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है।
5. प्लूटो (Pluto) से बड़ा बौना ग्रह ऍरिस है।
6. प्लूटो (Pluto) को सौर मण्डल के बाहरी काइपर घेरे की सब से बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है।
7. प्लूटो (Pluto) का आकार पृथ्वी के चन्द्रमा से सिर्फ एक-तिहाई है।
8. प्लूटो की त्रिज्या- 1150 कि.मी.।
9. प्लूटो की सूर्य से दूरी- करीब 5 अरब कि.मी.।
10. प्लूटो द्वारा सूर्य के एक चक्कर में लगने वाला समय- 247 वर्ष है।
11. प्लूटो के पाँच ज्ञात उपग्रह हैं ।

प्लूटो क्यों है बौना ग्रह

अन्तराष्ट्रीय खगोल एजेन्सी ने लगातार प्लूटो की कक्षा पर नजर बनाये रखी तथा पाया की प्लूटो का द्रव्यमान व आकार चन्द्रमा से भी काफी कम है तथा सूर्य की परिक्रमा के साथ-साथ वरुण ग्रह की कक्षा को भी काटता है तथा परिक्रमा भी करता है जबकि ग्रह की संज्ञा केवल सूर्य के चक्कर लगाने वाले पिण्ड को ही दी जा सकती है। जो पिण्ड किसी ग्रह के चक्कर लगाता है तो उसे उपग्रह की संज्ञा दी जाती है लेकिन प्लूटो इस सभी परिभाषाओ का विरोध करता है तथा इसी आधार पर अगस्त 2006 को उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है एवं इसे नया नाम 1,34,340 भी दिया गया है। ■

6. अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा की पहली बैठक

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा की पहली बैठक 02 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, उस दिन बैठक के बाद ग्रेटर नोएडा में मंत्रिस्तरीय बैठक भी होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए गठबंधन के दायरे में आने वाले सभी 121 देशों को आमंत्रित किया गया है।

मुख्य तथ्य

- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) महासभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल है जो सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग के जरिये पेरिस जलवायु समझौता को लागू करने में योगदान देगा।
- आईएसए के स्थापना सम्मेलन का आयोजन 11 मार्च 2018 को संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने नई दिल्ली में किया था। इसका मकसद सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
- आईएसए की स्थापना बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1.4 अरब डालर ऋण सुविधा की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी जो अफ्रीका समेत 15 देशों में 27 परियोजनाओं को आवरण करेगी।
- महासभा की बैठक के बारे में 20 सितंबर 2018 को पूर्वी क्षेत्र के सचिव टी एस त्रिमूर्ति ने विदेश मंत्रालय की एक बैठक में 50 से अधिक विदेशी रेसिडेंट मिशन को इसकी जानकारी दी थी। साथ ही इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक भी हो रही है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन है।
- भारत ने भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की थी।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है।
- इसका शुभारंभ भारत और फ्राँस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था।
- इस संगठन में ये सभी देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे।
- इस प्रयास को वैश्विक स्तर पर ऊर्जा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
- आईएसए पहली ऐसी संस्था है जिसका मुख्यालय भारत में गुरूग्राम में है।
- फ्रांस इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सफल होने के लिए 2022 तक 5600 करोड़ रुपये का फंड देगा जिससे सदस्य देशों में अन्य सोलर प्रोजेक्ट शुरू किये जायेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक 1 ट्रिलियन वाट (1000 गीगावाट) सौर ऊर्जा उत्पादन का है, जिस पर अनुमानतः 1 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आयेगा।
- आईएसए के कार्यकारी मसौदे में यह स्पष्ट किया गया है कि आईएसए का मूल उद्देश्य सभी के लिये किफायती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा की पहुँच सुनिश्चित करना है।
- इससे दूर-दराज के क्षेत्रों में भी उर्जा की बढती मांग को पूरा किया जा सकता है तथा जीवनस्तर में सुधार लाया जा सकता है। ■

7. नासा ने ग्रह की खोज करने वाले उपग्रह का किया सफल प्रक्षेपण

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ग्रह की खोज करने वाले नए उपग्रह का गुरुवार को सफल प्रक्षेपण किया। यह नया मिशन हमारे सौर मंडल के बाहर नई दुनिया की तलाश करना और ऐसे ग्रहों की पहचान करना है जहां एलियन के जीवन के अनुकूल माहौल है। ट्रांसिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सेटेलाइट (टीईएसएस) से तारों के निकट कक्षा में चक्कर लगाने वाले ग्रहों के बारे में पता लगने की संभावना है। इसे फ्लोरिडा के केप केनवरल

एयर फोर्स स्टेशन से भारतीय समयानुसार सुबह 4:21 बजे स्पेस एक्स फालकन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया।

नासा के विज्ञान मिशन निदेशालय के सह प्रशासक थॉमस जरबुचेन ने कहा कि हम इस बात से प्रसन्न हैं कि टीईएसएस उस दुनिया का पता लगाने के लिए पहल कर चुका है जिसके बारे में अब तक सिर्फ कल्पना ही की जाती थी। इस दो साल के सर्वे मिशन के लिए वैज्ञानिकों ने आकाश को 26 सेक्टरों में बांटा है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

यौन अपराधियों का राष्ट्रीय रजिस्टर

चर्चा का कारण

1.1 देश में यौन अपराधों के दोषियों की निजी जानकारी डेटा के रूप में रखने के लिए नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स (एनआरएसओ) अर्थात् यौन अपराधियों के राष्ट्रीय रजिस्टर की 20 सितंबर 2018 से शुरुआत की गई।

1.2 इसके साथ ही भारत दुनिया का नौवां देश बन गया है जहां एनआरएसओ के तहत यौन अपराधियों से जुड़ी निजी व बायोमैट्रिक जानकारियाँ डेटाबेस में रखी गई हैं। भारतीय रजिस्ट्री में ऐसे अपराधियों के नाम, तस्वीरें, घर का पता, उंगलियों के निशान, डीएनए के नमूने और पैन व आधार नंबर शामिल किए जाएंगे।

पृष्ठभूमि

2.1 नाबालिगों के साथ होने वाले यौन अपराधों को देखते हुए अप्रैल 2018 में फैसला किया गया था कि ऐसे अपराधियों के नेशनल रजिस्ट्री होनी चाहिए।

2.2 जम्मू-कश्मीर के कठुआ सामूहिक बलात्कार व हत्या मामले के बाद इसकी मांग बढ़ गई थी। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने 'आपराधिक कानून अध्यादेश, 2018' को मंजूरी प्रदान की थी जिसके तहत 12 साल से नीचे के नाबालिग के साथ यौन शोषण करने वालों को मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान है।

श्रेणियाँ

3.1 भारत में इस रजिस्ट्री के तहत अपराधियों को तीन श्रेणियों में रखा जाएगा। 15 साल की श्रेणी में 'कम खतरनाक' वाले अपराधियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

3.2 'मध्यम (या थोड़ा) खतरनाक' अपराधियों को 25 साल वाली श्रेणी में रखा जाएगा।

3.3 वहीं, आजीवन श्रेणी में 'आदतन अपराधियों, हिंसक अपराधियों, सामूहिक बलात्कार के दोषियों और यौन अपराध के दोषी सरकारी अधिकारी' को रखा जाएगा।

प्रमुख तथ्य

4.1 डेटाबेस में साढ़े चार लाख से ज्यादा मामलों को रजिस्टर किया जाएगा।

4.2 इनमें पहली बार और बार-बार यौन अपराध करने वालों के नाम शामिल होंगे।

4.3 वे समाज के लिए कितने खतरनाक हैं, इस आधार पर उन्हें उनके आपराधिक रिकॉर्ड के हिसाब से अलग-अलग श्रेणी में रखा जाएगा।

4.4 केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) इस डेटाबेस की देखरेख करेगा।

4.5 इसे जांच एजेंसियों के अलग-अलग उद्देश्यों व कामों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

अन्य देशों में यौन अपराधियों का राष्ट्रीय रजिस्टर

5.1 भारत में यह रजिस्टर केवल जांच एजेंसियों के लिए उपलब्ध रहेगी। अमेरिका में इस तरह का डेटाबेस एफबीआई के साथ आम लोगों के लिए उपलब्ध रहता है। इन दोनों के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और त्रिनिदाद व टोबैगो में भी यौन अपराधियों की रजिस्ट्री रखी जाती है। इन देशों में भी केवल जांच एजेंसियां इसका इस्तेमाल कर सकती हैं।

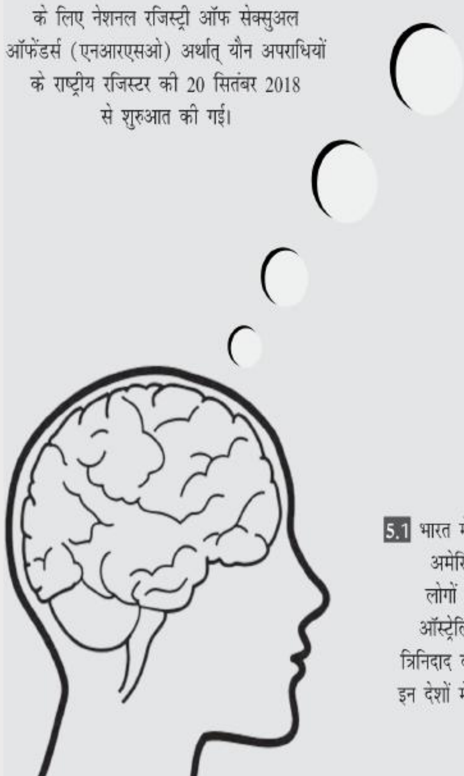

'ई-सहज' पोर्टल

चर्चा का कारण

1.1 केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने 18 सितंबर 2018 को ऑनलाइन पोर्टल 'ई-सहज' को लॉन्च किया।

1.2 यह प्लेटफार्म प्राइवेट कम्पनियों को सुरक्षा मंजूरी देने का कार्य करता है। यह पोर्टल व्यक्तियों और निजी कंपनियों को आवेदन जमा करने और उनकी स्थिति ऑनलाइन देखने में सहायता करेगा।

पृष्ठभूमि

2.1 गृह मंत्रालय कंपनियों और व्यक्तियों को परमिट, अनुमति या अनुबंध जारी करने से पहले कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मंजूरी के लिए नोडल मंत्रालय है।

2.2 राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी का उद्देश्य आर्थिक खतरों सहित संभावित सुरक्षा खतरों का मूल्यांकन करना और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश तथा परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले जोखिम मूल्यांकन प्रदान करना है।

महत्व

3.1 ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत से सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और निगरानी में रखा जा सकता है।

3.2 इससे बाकी अन्य प्रक्रियाओं में भी आसानी होने की उम्मीद है। इससे लोग ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों तक पहुंचने और समय पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे।

मुख्य बिंदु

4.1 यह पोर्टल राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करने, व्यापार को आसान बनाने और देश में निवेश को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा।

4.2 गृह मंत्रालय कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में कंपनियों, बोलीदाताओं और व्यक्तियों को सुरक्षा मंजूरियां देने के लिये नोडल प्राधिकरण है।

4.3 लाइसेंस, परमिट, अनुबंध इत्यादि की अनुमति के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है।

4.4 मंत्रालय ने पिछले एक साल में सुरक्षा मंजूरी के करीब 1,100 मामलों को मंजूरी प्रदान की है।

4.5 भले ही दी गई समय सीमा 90 दिन हो लेकिन गृह मंत्रालय 60 दिनों के भीतर सुरक्षा मंजूरी के मामलों में फैसला देने का प्रयास करता है। वर्ष 2018 में औसत समय 53 दिन रहा है. इस समय को और भी अधिक कम करने के प्रयास जारी हैं।

4.6 ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत के साथ, प्रक्रिया मानकीकृत हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप एक तेज, पारदर्शी और निगरानी करने में आसान प्रक्रिया होगी। विभिन्न पदाधिकारी ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं और समय पर निर्णय ले सकते हैं।

स्मार्ट फेंस प्रायोगिक परियोजना

चर्चा का कारण

1.1 भारत ने अपनी पहली स्मार्ट फेंस प्रायोगिक परियोजना का अनावरण किया है।

1.2 इस परियोजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू-कश्मीर के प्लौरा क्षेत्र (Ploura) में स्मार्ट फेंस लगाया गया है।

मुख्य तथ्य

2.1 स्मार्ट फेंस में लेजर से चलने वाले बाड़े (fence) बनाए जाते हैं और तकनीक से संचालित अवरोध बनाए जाते हैं जिससे कि सीमाओं पर जगह-जगह पर ऐसे अंतरालों पर ध्यान दिया जा सके जहाँ से घुसपैठ की सम्भावना अधिक होती है।

2.2 स्मार्ट फेंस प्रणाली में सर्वेक्षण संचार और डाटा संग्रहण के लिए कई उपकरणों का प्रयोग होता है।

2.3 यह एक नई प्रणाली है जिसके माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जा सकती है चाहे कोई भी मौसम हो। धूल की आँधी हो, कुहासा हो अथवा बरसात हो रही हो, सभी परिस्थितयों में यह कार्य करता है।

2.4 स्मार्ट फेंस में यह व्यवस्था भी होती है कि यदि कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो अलार्म भी बजता है।

महत्त्व

3.1 सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा की परिस्थितियों की निगरानी के लिए स्मार्ट फेंस प्रायोगिक परियोजना एक बहुत बड़ा वरदान है।

3.2 इस तकनीकी सुविधा से सीमा पर हमारी सुरक्षा पहले से मजबूत और प्रभावी हो जायेगी। सच पूछा जाए तो अब आतंकवादियों का भारत में घुसना असंभव हो जाएगा।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए नए मापदंड

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India& SEBI) ने ओपन एंडेड इक्विटी योजनाओं के लिये कुल व्यय अनुपात (Total Expense Ratio & TER) को कम करते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign Portfolio Investors& FPIs) के लिये KYC (know your Client) की आवश्यकताओं पर एच.आर. खान समिति की सिफारिशों को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया है।

प्रमुख बिंदु

2.1 सेबी ने अप्रैल में जारी परिपत्र में संशोधन करने के लिये सहमति व्यक्त की है और नया परिपत्र जारी करने का फैसला किया है जो खान समिति की सिफारिशों के अनुरूप है।

2.2 कुल व्यय अनुपात को कम करने के फैसले से निवेशकों के लिये म्युचुअल फंड में निवेश करना पहले की तुलना में कम महँगा होगा।

2.3 एक और बड़े फैसले में, नियामक ने ओपन एंडेड इक्विटी स्कीमों के लिये अधिकतम व्यय अनुपात 1.05% निश्चित कर दिया है जिसमें प्रबंधन के तहत संपत्ति (Assets Under Management& AUM) का मूल्य 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

2.4 वर्तमान में, 300 करोड़ रुपये से अधिक AUM वाली योजनाओं के लिये कुल व्यय अनुपात 1.75% है।

2.5 इसके अलावा, योजना के AUM के आधार पर सेबी ने व्यय अनुपात के रूप में 1.05% से 2.25% की राशि निर्धारित की है। इससे पहले यह सीमा 1.75% से 2.5% थी।

अतिरिक्त व्यय अनुपात में कमी

3.1 हालाँकि नियामक ने शीर्ष 30 शहरों से खुदरा प्रवाह के लिये 30 आधार अंकों के अतिरिक्त व्यय अनुपात को अनुमति दी है लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि निगमों और संस्थानों द्वारा किये जाने वाले प्रवाह के लिये अतिरिक्त खर्च की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2 नियामक के अनुसार व्यय अनुपात कम होने से निवेशकों को कमीशन में 1300 करोड़ रुपए से 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी।

सेबी (निपटान कार्यवाही) विनियमन 2018

4.1 नियामक ने सेबी (निपटान कार्यवाही) विनियमन 2018 तैयार किया है, जो उन अपराधों पर प्रतिबंध लगाता है जिनका प्रभाव बाजारव्यापी हो, निवेशकों को नुकसान पहुँचाता हो या बाजार की अखंडता को प्रभावित करता हो तथा सहमति मार्ग के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है।

4.2 सेबी का मानना है कि अंदरूनी व्यापार से संबंधित गंभीर अपराधों को सहमति के माध्यम से सुलझाया जा सकता है फिर भी नियामक इस तरह के मामलों पर निर्णय लेने के दौरान सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करेगा।

4.3 इस बीच, नियामक किसी भी कार्यवाही को नहीं रोकेगा जिसमें आवेदक एक विलफुल डिफाल्टर है या यदि उसी अपराध के लिये पहले आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया हो।

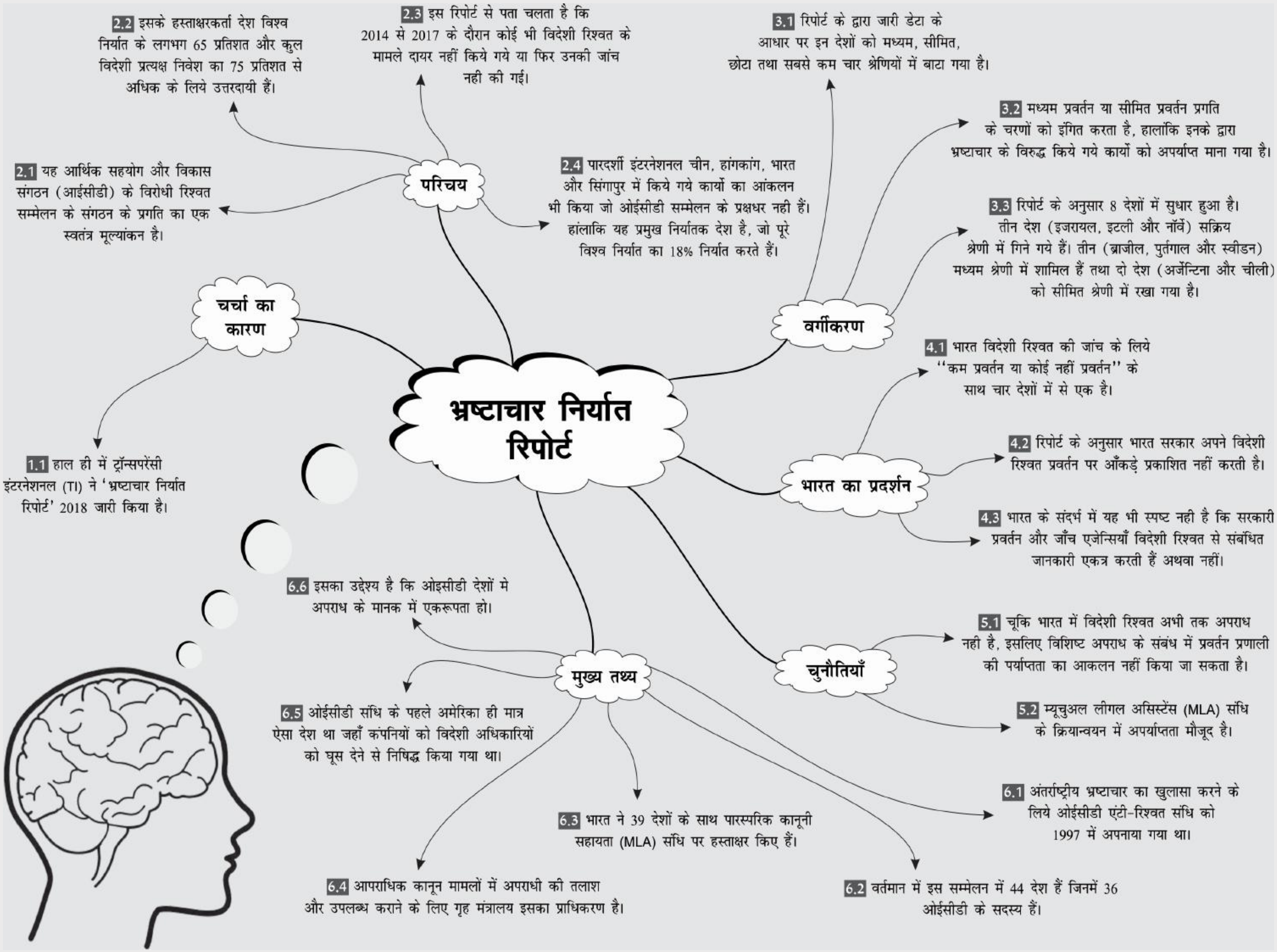
भ्रष्टाचार निर्यात रिपोर्ट
चर्चा का कारण
1.1 हाल ही में ट्रॉन्सपरेंसी इंटरनेशनल (TI) ने 'भ्रष्टाचार निर्यात रिपोर्ट' 2018 जारी किया है।
परिचय
2.1 यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (आईसीडी) के विरोधी रिश्वत सम्मेलन के संगठन के प्रगति का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है।
2.2 इसके हस्ताक्षरकर्ता देश विश्व निर्यात के लगभग 65 प्रतिशत और कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 75 प्रतिशत से अधिक के लिये उत्तरदायी हैं।
2.3 इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2014 से 2017 के दौरान कोई भी विदेशी रिश्वत के मामले दायर नहीं किये गये या फिर उनकी जांच नही की गई।
2.4 पारदर्शी इंटरनेशनल चीन, हांगकांग, भारत और सिंगापुर में किये गये कार्यो का आंकलन भी किया जो ओईसीडी सम्मेलन के प्रक्षधर नही हैं। हांलाकि यह प्रमुख निर्यातक देश है, जो पूरे विश्व निर्यात का 18% निर्यात करते हैं।
वर्गीकरण
3.1 रिपोर्ट के द्वारा जारी डेटा के आधार पर इन देशों को मध्यम, सीमित, छोटा तथा सबसे कम चार श्रेणियों में बाटा गया है।
3.2 मध्यम प्रवर्तन या सीमित प्रवर्तन प्रगति के चरणों को इंगित करता है, हालांकि इनके द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध किये गये कार्यो को अपर्याप्त माना गया है।
3.3 रिपोर्ट के अनुसार 8 देशों में सुधार हुआ है। तीन देश (इजरायल, इटली और नॉर्वे) सक्रिय श्रेणी में गिने गये हैं। तीन (ब्राजील, पुर्तगाल और स्वीडन) मध्यम श्रेणी में शामिल हैं तथा दो देश (अर्जेन्टिना और चीली) को सीमित श्रेणी में रखा गया है।
भारत का प्रदर्शन
4.1 भारत विदेशी रिश्वत की जांच के लिये "कम प्रवर्तन या कोई नहीं प्रवर्तन" के साथ चार देशों में से एक है।
4.2 रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अपने विदेशी रिश्वत प्रवर्तन पर आँकड़े प्रकाशित नहीं करती है।
4.3 भारत के संदर्भ में यह भी स्पष्ट नही है कि सरकारी प्रवर्तन और जाँच एजेन्सियाँ विदेशी रिश्वत से संबंधित जानकारी एकत्र करती हैं अथवा नहीं।
चुनौतियाँ
5.1 चूकि भारत में विदेशी रिश्वत अभी तक अपराध नही है, इसलिए विशिष्ट अपराध के संबंध में प्रवर्तन प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन नहीं किया जा सकता है।
5.2 म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस (MLA) संधि के क्रियान्वयन में अपर्याप्तता मौजूद है।
मुख्य तथ्य
6.1 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिये ओईसीडी एंटी-रिश्वत संधि को 1997 में अपनाया गया था।
6.2 वर्तमान में इस सम्मेलन में 44 देश हैं जिनमें 36 ओईसीडी के सदस्य हैं।
6.3 भारत ने 39 देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता (MLA) संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।
6.4 आपराधिक कानून मामलों में अपराधी की तलाश और उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय इसका प्राधिकरण है।
6.5 ओईसीडी संधि के पहले अमेरिका ही मात्र ऐसा देश था जहाँ कंपनियों को विदेशी अधिकारियों को घूस देने से निषिद्ध किया गया था।
6.6 इसका उद्देश्य है कि ओइसीडी देशों मे अपराध के मानक में एकरूपता हो।

चक्रवात–30

चर्चा का कारण

1.1 चक्रवात-30 नामक भारत की सबसे बड़ी साइक्लोट्रॉन सुविधा कोलकाता स्थित वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (VECC) में परिचालित हो गई, जो परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अंतर्गत आता है।

1.2 साइक्लोट्रॉन का प्रयोग कैंसर देखभाल के लिए नैदानिक और चिकित्सकीय उपयोग के लिए रेडियोआइसोटोप का उत्पादन करने के लिए किया जाता है।

1.3 इन आइसोटोप का विकिरण कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है।

पृष्ठभूमि

2.1 लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के नए अध्ययन के अनुसार, 2016 में भारत में कुल संख्या में 8.3% मौतें कैंसर की वजह से थीं और 1990 में 5.48 लाख से बढ़कर नए मामलों की संख्या बढ़कर 2016 में 1.1 मिलियन हो गई।

2.2 वर्तमान में, कैंसर उपचार के लिए कई रेडियोआइसोटोप आयात किए जाते हैं जबकि कुछ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में अप्सरा जैसे परमाणु शोध रिएक्टरों में उत्पादित होते हैं।

चक्रवात-30 क्या है

3.1 यह कैंसर के निदान और उपचार के लिए रेडियोआइसोटोप का उत्पादन करेगा।

3.2 यह देश में पहली चक्रवात सुविधा होगी जो जर्मेनियम-68 रेडियोआइसोटोप का उत्पादन करेगी, जिसका प्रयोग स्तन कैंसर के निदान में किया जाता है।

3.3 यह पैलेडियम 103 आइसोटोप का भी उत्पादन करेगा, जिसका प्रयोग प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है।

3.4 अपने भविष्य के चरणों में, यह आयोडीन 123 आइसोटोप भी उत्पन्न करेगा, जो थायराइड कैंसर का पता लगाने में मदद कर सकता है।

3.5 यह पहली बार तब काम करना शुरू कर दिया जब 30 मेगा बीमा फैराडे कप (वैक्यूम में चार्ज कणों को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया धातु कप) तक पहुंचा।

3.6 इस सुविधा से बीमा का उपयोग फ्लोराइन-18 आइसोटोप का उत्पादन रेडियो-फार्मास्युटिकल फ्लोराइडोक्सीग्कोस (FDF) की तैयारी के लिए किया जाता था, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कैंसर का निदान करने के लिए किया जाता है।

3.7 यह परमाणु प्रणालियों और नियामक मंजूरी का समर्थन करने के बाद 2019 के मध्य तक नियमित उत्पादन शुरू करेगा।

महत्व

4.1 उच्च ऊर्जा और उच्च उपज वाली चक्रवात-30 मशीन पूरे देश के लिए विशेष रूप से पूर्वी बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों के लिए सस्ती रेडियो आइसोटोप और संबंधित रेडियोफर्मास्यूटिकल्स प्रदान करेगी।

4.2 यह भविष्य में रेडियोआइसोटोप निर्यात करने की संभावना को बढ़ाने के दौरान आयात को कम करने में भी मदद करेगा।

4.3 इसमें जर्मेनियम-68 और गैलियम-68 जनरेटर के लिए गैलियम-68 और पैलेडियम-103 आइसोटोप की सीटू उत्पादन के लिए निर्यात क्षमता भी है, जिसका प्रयोग क्रमशः स्तन कैंसर निदान और प्रोस्टेट कैंसर उपचार के लिए किया जाता है।

4.4 इसका उपयोग भौतिक विज्ञान और परमाणु भौतिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए भी किया जा सकता है।

बाल मृत्यु दर अनुमान

चर्चा का कारण

1.1 संयुक्त राष्ट्र के शिशु मृत्युदर आंकलन के लिए बाल मृत्युदर अनुमान एजेंसी (यूएनआईजीएमई) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन हर दो मिनट में तीन नवजातों की मौत हो जाती है।

बाल मृत्यु दर के कारण

2.1 इसका कारण शुद्ध पानी, स्वच्छता, उचित पोषाहार या बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है।

क्या है आंकड़े?

3.1 रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2017 में 8,02,000 शिशुओं की मौत हुई थी। हालांकि यह आंकड़ा पिछले पांच वर्ष में सबसे कम है लेकिन दुनियाभर में यह आंकड़ा अब भी सर्वाधिक है।

3.2 विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य प्रमुख डॉ गगन गुप्ता के अनुसार कि भारत विभिन्न सरकारी पहलों के माध्यम से शिशु मृत्यु के कारणों से लड़ने की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा, कि भारत में हर साल ढ़ाई करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं।

3.3 यूनिसेफ में इंडिया की प्रतिनिधि यासमीन अली हक के अनुसार शिशु मृत्यु दर के मामले में भारत में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब जन्म से पांच वर्ष आयु वर्ग में वैश्विक मृत्यु दर में भारत के आंकड़े वैश्विक जन्म दर के आंकड़ों के बराबर हैं।

3.4 उन्होंने कहा, 'दुनियाभर में जन्म लेने वाले बच्चों में करीब 18 प्रतिशत भारतीय होते हैं।

3.5 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में शिशु मृत्यु के सर्वाधिक आंकड़े भारत के हैं, इसके बाद नाइजीरिया का स्थान है।

3.6 नाइजीरिया में एक साल में 4,66,000 शिशुओं की मृत्यु हुई। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, जहां पर 3,30,000 शिशुओं की मृत्यु के मामले सामने आए।

3.7 यूएनआईजीएमई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2017 में 6,05,000 नवजात शिशुओं की मौत के मामले दर्ज किए गए, जबकि पांच से 14 साल आयु वर्ग के 1,52,000 बच्चों की मृत्यु हुई।

3.8 उन्होंने कहा कि अस्पतालों में प्रसव को प्रोत्साहन, नवजात शिशुओं के देखभाल के लिए सुविधाओं का विकास और टीकाकरण बेहतर होने से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

3.9 शिशु मृत्यु दर 2016 में 8.67 लाख के मुकाबले कम होकर 2017 में 8.02 लाख हो गई। 2016 में भारत में शिशु मृत्यु दर 44 शिशु प्रति 1,000 थी।

3.10 यदि लैंगिक आधार पर शिशु मृत्यु दर की बात करें, तो 2017 में लड़कों में यह प्रति 1,000 बच्चों पर 30 थी, जबकि लड़कियों में यह प्रति 1,000 बच्चियों पर 40 थी।

3.11 यासमीन ने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले पांच वर्षों में लिंगानुपात में सुधार आया है और बालिकाओं के जन्म और जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि हुई है।

3.12 उन्होंने कहा कि पोषण अभियान के तहत जरूरी पोषक तत्व मुहैया कराने और देश को 2019 तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियानों से भी फर्क पड़ेगा।

3.13 यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग और विश्व बैंक समूह की ओर से जारी मृत्यु दर के नए अनुमानों के मुताबिक 2017 में 15 साल से कम आयु के 63 लाख बच्चों की मौत हो गई जिनमें ज्यादातर की मौतों को रोका जा सकता था।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. यौन अपराधियों का राष्ट्रीय रजिस्टर

प्र. हाल ही में समाचारों में चर्चित ''यौन अपराधियों का राष्ट्रीय रजिस्टर'' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत दुनियाँ का नौवाँ देश बन गया है जहाँ एनआरएसओ के तहत यौन अपराधियों से जुड़ी निजी व बायोमैट्रिक जानकारियाँ डेटा बेस में रखी गई हैं।
2. इस डेटाबेस में साढ़े चार लाख से ज्यादा मामलों को रजिस्टर किया जाएगा।
3. इस डेटा बेस में पहली बार और बार-बार यौन अपराध करने वालों के नाम शामिल होंगे।
4. केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) इस डेटाबेस की देख-रेख करेगा।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल और व 3

(c) 2, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः देश में यौन अपराधों के दोषियों की निजी जानकारी डेटा के रूप में रखने के लिए नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स (एन.आर.एस.ओ) अर्थात् यौन अपराधियों के राष्ट्रीय रजिस्टर की घोषणा 20 सितंबर 2018 से की गई। भारतीय रजिस्ट्री में ऐसे अपराधियों के नाम, तस्वीरें, घर का पता, उंगलियों के निशान, डीएनए के नमूने और पैन व आधार नंबर शामिल किए जाएगे। इस 'संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ■

2. 'ई-सहज' पोर्टल

प्र. ई-सहज पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह पोर्टल राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करने, व्यापार को आसान बनाने और देश में निवेश को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा।
2. लाइसेंस, परमिट, अनुबंध इत्यादि की अनुमति के लिए विदेश मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक हीती है।
3. विदेश मंत्रालय कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में कंपनियों, बोलीदाताओं और व्यक्तियों को सुरक्षा मंजूरियाँ देने के लिए नोडल प्राधिकरण है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने 18 सितंबर 2018 को ऑनलाइन पोर्टल 'ई-सहज' को लॉन्च किया। यह पोर्टल राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करने, व्यापार को आसान बनाने और देश में निवेश को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। इस तरह कथन 1 सही है। लाइसेंस परमिट, अनुबंध आदि की अनुमति विदेश मंत्रालय नहीं बल्कि गृह मंत्रालय देता है अतः कथन 2 गलत है। इसी तरह गृह मंत्रालय ही संवेदनशील क्षेत्रों में कंपनियों, बोलीदाताओं और व्यक्तियों को सुरक्षा मंजूरियाँ देने के लिए नोडल प्राधिकरण है अतः कथन 3 भी गलत है। ■

3. स्मार्ट फेंस प्रायोगिक परियोजना

प्र. 'स्मार्ट फेंस प्रायोगिक परियोजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. स्मार्ट फेंस प्रणाली में सर्वेक्षण संचार और डाटा संग्रहण के लिए कई उपकरणों का प्रयोग होता है।
2. इस प्रणाली से किसी भी मौसम में 24 घंटे निगरानी रखी जा सकती है।
3. स्मार्ट फेंस में यह व्यवस्था होता है कि यदि कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो अलार्म भी बजता है।

उपर्युक्त कथनों में सेकौन-सा/से कथना सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः भारत ने अपनी पहली स्मार्ट फेंस प्रायोगिक परियोजना का अनावरण किया है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू-कश्मीर के प्लौरा क्षेत्र में स्मार्ट फेंस लगाया गया है। अतः स्मार्ट फेंस प्रायोगिक परियोजना के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही है। ■

4. विदेशी पोर्ट फोलियो निवेशकों के लिए नए मापदंड

प्र. विदेशी पोर्ट फोलियो निवेशकों के लिए नए मापदंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. कुल व्यय अनुपात को कम करने के फैसले से निवेशकों के लिए म्युचुअल फंड में निवेश करना पहले की तुलना में कम महंगा होगा।

2. वर्तमान में, 100 करोड़ रुपये से अधिक AUM (Assets Under Management) वाली योजनाओं के लिए कुल व्यय अनुपात 1.75% है।
3. इस योजना के AUM के आधार पर सेबी ने व्यय अनुपात के रूप में 1.05% से 2.25% की राशि निर्धारित की है। इससे पहले यह सीमा 1.75% से 2.5% थी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2　　(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3　　(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में सेबी (SEBI) ने ओपन एंडेड इक्विटी योजनाओं के लिए कुल व्यय अनुपात को कम करते हुए विदेशी पोर्ट फोलियो निवेशकों के लिए केवाईसी (KYC) की आवश्यकताओं पर गठित एच.आर. खान समिति की सिफारिशों को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस योजना के तहत निवेशकों के लिए म्युचुअल फंड में निवेश करना पहले की तुलना में कम महंगा होगा अत: कथन 1 सही है। वर्तमान में इस योजना में 300 करोड़ रुपये से अधिक (न कि 100 करोड़ रुपये) AUM वाली योजनाओं के लिए कुल व्यय का अनुपात 1.75% है अत: कथन 2 गलत है। इस योजना के AUM के आधार पर सेबी ने व्यय अनुपात के रूप में 1.05% से 2.25% की राशि निर्धारित की है अत: कथन 3 सही है। ■

5. भ्रष्टाचार निर्यात रिपोर्ट

प्र. भ्रष्टाचार निर्यात रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए ओईसीडी एंटी रिश्वत संधि को 1999 में अपनाय गया था।
2. भारत ने 49 देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता (MLA) संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. इसका उद्देश्य है कि ओईसीडी देशों में अपराध के मानक में भिन्नता हो।
4. आपराधिक कानून मामलों में विधायक की तलाश और उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय इसका प्राधिकरण है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1, 2 और 3　　(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 4　　(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में ट्रांसपिरेंसी इंटरनेशनल ने 'भ्रष्टाचार निर्यात रिपोर्ट' 2018 जारी किया है। इस परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए ओईसीडी एंटी-रिश्वत संधि को 1997 में अपनाया गया था न कि 1999 में अत: कथन 1 गलत है।

- भारत ने 39 देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता (MLA) संधि पर हस्ताक्षर किए न कि 49 देशों के साथ अत: कथन 2 भी गलत है।
- इसका उद्देश्य है कि ओईसीडी देशों में अपराध के मानक में समानता हो न कि भिन्नता अत: कथन 3 भी गलत है।

आपराधिक कानून मामलों में विधायक की तलाश और उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय इसका प्राधिकरण है अत: कथन 4 सही है। ■

6. चक्रवात-30

प्र. हाल ही में चर्चित 'चक्रवात-30' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसका उपयोग भौतिक विज्ञान और परमाणु भौतिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए भी किया जाता है।
2. यह कैंसर के निदान और उपचर के लिए रेडियोआइसोटोम का उत्पादन करेगा।
3. यह पैलेडियम 103 आइसोटोप का भी उत्पादन करेगा, जिसका प्रयोग प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) 1, 2 और 3　　(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3　　(d) केवल 1 और 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: चक्रवात-30 नामक भारत की सबसे बड़ी साइक्लोट्रॉन सुविधा कोलकाता स्थित वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (VECC) में परिचालित हो गई, जो परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अंतर्गत आता है। अत: चक्रवात-30 के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही है। ■

7. बाल मृत्यु दर अनुमान

प्र. 'बाल मृत्यु दर अनुमान' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2017 में 8,02,000 शिशुओं की मौत हुई थी।
2. इन शिशुओं की मृत्यु के कारण पीने योग्य पानी, स्वच्छता, उचित पोषाहार या बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है।
3. नाइजीरिया में एक साल में 4,66,000 शिशुओं की मृत्यु हुई, इसके बाद पाकिस्तान (3,30,000) का स्थान है।
4. शिशु मृत्यु दर 2016 में 8.67 लाख के मुकाबले कम होकर 2017 में 8.02 लाख हो गई।

उपर्यक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 4　　(b) केवल 2 और 3
(c) उपर्युक्त सभी　　(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र के शिशु मृत्युदर आंकलन के लिए बाल मृत्युदर अनुमान एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन हर दो मिनट में तीन नवजातों की मौत हो जाती है। बाल मृत्यु दर अनुमान के उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. ऑस्कर 2019 के लिए किस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है?

   - *विलेज रॉक्स्टार्स*

2. किन्हें हाल ही में मालदीव का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है?

   - *इब्राहिम सोलिह*

3. विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसने वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है?

   - *नेपाल*

4. किस राज्य सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय क्रेडिट सोसाइटी जमा सुरक्षा योजना की शुरूआत की है?

   - *महाराष्ट्र*

5. किस राज्य सरकार ने भीड़ हिंसा नियंत्रण और निषेध बिल लागू करने का निर्णय लिया है?

   - *मणिपुर*

6. किस राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में मानव तस्करी पर रोकथाम के लिए 'स्वयंसिद्ध' योजना लागू करने जा रही है?

   - *पश्चिम बंगाल*

7. किस राज्य सरकार ने उद्योगों से हो रहे वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए 'स्टॉर रेटिंग प्रणाली की शुरूआत की है?

   - *ओडिशा*

सात महत्वपूर्ण खेल

1. फीफा विश्व कप, 2018

- फीफा फुटबॉल विश्व कप, 2018 का आयोजन 14 जून से 15 जुलाई, 2018 के मध्य रूस के विभिन्न शहरों में संपन्न।
- प्रतियोगिता में 32 टीमों ने भाग लिया, जिन्हें 4-4 के 8 ग्रुपों 'A' से 'H' में बांटा गया था।
- रूस के 11 शहरों के 12 स्टेडियमों में कुल 64 मैचों का आयोजन किया गया।
- टूर्नामेंट राउंड रॉबिन लीग और नॉकआउट प्रारूप में खेला गया।
- 15 मई, 2018 को मॉस्को की लुज्निकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से पराजित कर दूसरी बार (पहला खिताब 1998 में) विश्व कप का खिताब जीत लिया।
- बेल्जियम ने इंग्लैण्ड को 2-0 से पराजित कर तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- चौथा स्थान : इंग्लैण्ड
- फीफा वर्ल्ड कप का 22वां संस्करण आयोजन 2022 में कतर में होगा।
- फीफा वर्ल्ड कप का 23 वे संस्करण का आयोजन कनाडा, मैक्सिको तथा यूएसए में 2026 में होगा।
- फीफा विश्व कप, 2018 का शुभंकर (Mascot) जाबीवाका (Zabivaka) नाम का एक भेड़िया था।
- फीफा विश्व काप, 2018 का आधिकारिक गीत 'लिव इट अप' था।
- फीफा फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में पहली बार वीडियो सहायक रेफारी (VAR) प्रणाली का प्रयोग किया गया।

प्रतियोगिता में प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार रहे-

- गोल्डेन बॉल- लुका मोड्रिक (कप्तान- क्रोएशिया)
- सिल्वर बॉल- एडेन हेजार्ड (बेल्जियम)
- ब्रांज बॉल- एंटोनी ग्रीजमैन (फ्रांस)
- गोल्डेन बूट- हैरी केन (इंग्लैंड), 6 गोल
- सिल्वर बूट- एंटोनी ग्रीजमैन (फ्रांस), 4 गोल
- ब्रांज बूट- रोमेलु लुकाकु (बेल्जियम), 4 गोल
- गोल्डेन ग्लव- थिबाउट कोर्टोइस (बेल्जियम)
- सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी- किलियन म्बापे (फ्रांस)
- फीफा फेयर प्ले अवॉर्ड- स्पेन

2. राष्ट्रमंडल खेल, 2018

- 21वें राष्ट्रमेंडल खेलों का उद्घाटन समारोह 4 अप्रैल, 2018 को गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड (आस्ट्रेलिया) के कैरारा स्टेडियम में हुआ।
- इन खेलों का ध्येय वाक्य 'शेयर द ड्रीम' था। उद्घाटन समारोह की थीम 'हैलो अर्थ' थी।
- उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु रही।
- 18 खलों की 23 प्रतिस्पर्धाओं के 275 खेल आयोजनों में 71 राष्ट्र/प्रांतों से कुल 6600 से अधिक खिलाड़यों ने प्रतिभाग किया।
- ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल, 2014 में शामिल जूडो का आयोजन इस बार नहीं किया गया।
- बॉस्केटबॉल को पुनः इन खेलों में (2018) में शामिल किया गया और महिला रग्बी सवेंस का पदार्पण एवं 18वें खेल के रूप में, बीच वॉलीबॉल का चयन किया गया।
- 11 दिन के इस खेल आयोजन में ऑस्ट्रेलिया ने 80 स्वर्ण, 59 रजत एवं 59 कांस्य पदक सहित कुल 198 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपना तीसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 66 पदक जीते जिसमें 26 स्वर्ण, 22 रजत एवं 20 कांस्य पदक शामिल है।
- इन खेलों का शुभंकर (Mascot), बोरोबी (Borobi) नामक एक नीले रंग का नर कोआला (Koala) था।
- कनाडाई महिला तैराक टेलर रक (Taylor Ruck) ने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक 8 पदक जीते। (स्पर्धा- तैराकी)

- ऑस्ट्रेलिया के तैराक मिच लारकिन (Mitch Larkin) ने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक स्पर्ण पदक (5 स्वर्ण पदक) जीते।
- बरमूडा की फ्लोरा डफी (Flora Duffy) ने महिला ट्रॉयथलन में 21वें राष्ट्रमेंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता।
- इस राष्ट्रमंडल खेल में कनाडा के फुल-बोर निशानेबाज रॉबर्ट पिटकेयर्न ने 79 वर्ष की आयु में पदार्पण किया और क्वींस प्राइज स्पर्धा में भाग लिया।
- इस प्रकार रॉबर्ट राष्ट्रमेंडल खेलों में भाग लेने वाले अब तक के सर्वाधिक आयु वाले खिलाड़ी बने।
- 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में 27 जुलाई से 7 अगस्त तक बर्मिंघम (इंग्लैंड) में होगा।

3. फीफा U-17 फुटबॉल विश्व काप, 2017

- भारत में प्रथम बार आयोजित फीफा U-17 फुटबॉल विश्व कप, 2017 संपन्न। (6-28 अक्टूबर, 2017)
- यह पहला अवसर था, जब भारत ने फीफा की किसी प्रतियोगिता की मेजबानी की।
- U-17 विश्व कप के मैच 6 भारतीय शहरों में आयोजित किए गए- गोवा, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता, नवी मुंबई तथा नई दिल्ली।
- यह फीफा अण्डर-17 वर्ल्डकप का 17वां संस्करण था।
- यह एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल टुर्नामेंट है।
- फीफा अण्डर-17 फुटबॉल विश्व कप के 18वें संस्करण का आयोजन 2019 में पेरू में होगा।
- 6 फुटबॉल संघों की 24 टीमों ने टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया।
- फीफा U-17 विश्व कप, 2017 का आधिकारिक शुभंकर (Mascot) 'खेलियों' नामक एक तेंदुआ था।
- 28 अक्टूबर को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम (आधिकारिक नाम: युवा भारती क्रीडांगन) में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड ने स्पेन को 5-2 से पराजित कर पहली बार U-17 विश्व कप का खिताब (स्वर्ण पदक) जीत लिया।
- ब्राजील ने माली को 2-0 से पराजित कर तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- सिल्वर बॉल- सागैयो गोमेज (स्पेन)
- सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का एडिडास 'गोल्डेन बॉल' पुरस्कार इंग्लैंड के फिलिप फोडेन को प्रदान किया गया।
- गोल्डन बूट: ऋथन ब्रेवेस्टर (इंग्लैंड), 8 गोल
- 'फीफा फेयर प्ले अवॉर्ड' ब्राजील को प्रदान किया गया।
- फिफा U-17 विश्व कप, 2017 का आधिकारिक गीत 'कर के दिखला दे गोल' था।
- गोल्डन ग्लोव अवार्ड- गैब्रियल ब्रैज्जो (ब्राजील)
- एडिडास क्रासावा (Adidas Krasava) - इस बार के U-17 विश्व कप की आधिकारिक गेंद (Ball) थी।
- फीफा विश्व कप में किसी भी आयु स्तर पर यह भारत की पहली उपस्थिति थी।

4. पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्राफी, 2018

- पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, 2018 का 37वां संस्करण ब्रेडा, नीदरलैंड्स में संपन्न। (23 जून - 1 जुलाई 2018)
- आयोजक- अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH)

प्रतियोगिता परिणाम

- स्वर्ण पदक- ऑस्ट्रेलिया (15वां खिताब), पेनाल्टी शूट आउट में 3-1 से।
- रजत पदक- भारत
- कांस्य पदक- नीदरलैंड्स (अर्जेंटीना को 2-1 से परिजित किया)।
- भारतीय टीम के कप्तान एस.वी. सुनील एवं कोच हरेंद्र सिंह थे।
- राबोबैंक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी- अरैल जेलेवस्की (ऑस्ट्रेलिया)

5. इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबाल 2018

- इंटरकॉन्टिनेंटल कप, 2018 का आयोजन मुंबई फुटबॉल एरेना, मुंबई में संपन्न (1-10 जून, 2018)
- प्रतिभागी टीमें (4)- भारत, केन्या, न्यूजीलैंड तथा चीनी ताइपे।
- विजेता- भारत (2-0 से), पहला खिताब।
- उपविजेता- केन्या
- प्लेयर ऑफ दर टूर्नामेंट- भारतीय कप्तान सुनील छेत्री (टूर्नामेंट में सर्वाधिक 8 गोल)
- टूर्नामेंट के दौरान 4 जून, 2018 को सुनील छेत्री ने अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेला।

6. एशियाई खेल, 2018

18वें एशियाई खेलों का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर, 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहरों में संपन्न हुए।

- जकार्ता वर्ष 1962 में भी एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है।

- यह पहला अवसर है जब एशियाई खेलों का आयोजन दो नगरों में किया गया।
- इन खेलों की थीम 'फील द एनर्जी ऑफ एशिया' थी।
- भारत ने 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य के साथ कुल 69 पदक जीतकर पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त किया।
- यह इस महाद्वीपीय खेल महाकुम्भ में भारत का अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन है।
- भारत ने अपनी मेजबानी में संपन्न पहले एशियाई खेलों (1951, नई दिल्ली) में 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक सहित कुल 51 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था।
- चीन ने 132 स्वर्ण, 92 रजत और 65 कांस्य पदक सहित कुल 289 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- अब तक चीन के अतिरिक्त जापान ही ऐसा एकमात्र देश है, जिसने एशियाई खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जापान ने यह उपलब्धि सन् 1951 में प्राप्त की थी।
- भारत ने इस बार सर्वाधिक पदक 19 पदक एथलेटिक्स में जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 10 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं।
- एशियाई खेल, 2018 में निशानेबाज रवि कुमार और अपूर्वी चंदेला ने भारत के लिए पहला पदक, कांस्य पदक के रूप में प्राप्त किया।
- दोनों की जोड़ी ने 10 मीटर मिश्रित टीम एयर राइफल स्पर्धा में 429.9 अंक प्राप्त किए।
- भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किग्रा. भार वर्ग में जापान के तकातानी दाईची को 11-8 से पराजित कर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता।
- भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान बनीं।
- विनेश ने 50 किग्रा. भार वर्ग में जापानी पहलवान इरी यूकी को 6-2 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता।
- मेरठ के 15 वर्षीय निशानेबाज शार्दूल विहान ने डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक (240.7 अंक) जीता और एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए।
- महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में राही सरनोबत ने स्वर्ण पदक जीता।
- इसी के साथ राही एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनीं।
- भारतीय पुरुष टेबल टेनिस को मिला कांस्य पदक इन खेलों के 60वर्षों के इतिहास में टेबल टेनिस में जीता गया पहला पदक है।
- टेबल टेनिस की इस स्पर्धा के सेमीफाइनल में भारत को द. कोरिया ने पराजित किया।
- टेनिस खिलाड़ी अंकित रैना एशियन गेम्स में महिला एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला टेनिस खिलाड़ी बनीं।
- इससे पूर्व सानिया मिर्जा ने दोहा में वर्ष 2006 में रजत पदक जीता था और इसके बाद वर्ष 2010 में ग्वांग्झू में कांस्य पदक जीता था।
- मुक्केबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक भारतीय मुक्केबाज अमित पंघल ने जीता।
- 49 किग्रा. भार वर्ग के फाइनल में अमित ने 2016 रियो ओलंपिक चौंपियन हसनबाय दुसमातोव को 3-2 से शिकस्त दी।
- भारत को 15वां और अंतिम स्वर्ण पदक प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार की जोड़ी ने ब्रिज स्पर्धा में दिलाया।
- फाइनल में प्रणव और शिवनाथ ने 384 अंक हासिल किए।
- 60 वर्षीय प्रणव भारतीय दल में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं।
- भारत ने अपना 69वां एवं अंतिम पदक पुरुष हॉकी स्पर्धा में जीता।
- हॉकी मैच के सेमीफाइनल में मलेशिया से पेनाल्टी शूट आउट के सडन डेथ में 7-6 से पराजित होने के बाद भारतीय टीम ने कांस्य पदक मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से पराजित किया।
- जापान की 18 वर्षीय युवा तैराक रिकाको इकी को 18वें एशियाई खेलों का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP) चुना गया।
- रिकाको ने सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक एवं 2 रजत पदक सहित सर्वाधिक 8 प्राप्त किए।
- उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में भारत को एशियाई खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया।
- नीरज ने 88.06 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर यह स्वर्ण पदक जीता।
- 21 वर्षीय स्वप्ना बर्मन हेप्टाथलान स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट बनीं।
- सात स्पर्धाओं के इस खेल में स्वप्ना ने कुल 6026 अंक जुटाए।

- समापन समारोह में महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल भारतीय ध्वजवाहक रहीं।
- भारत ने 18वें एशियाई खेलों में 36 खेलों में भागीदारी हेतु 572 एथलीट सहित कुल 804 सदस्यीय दल भेजा था।
- भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह भारतीय दल के प्रमुख (Chef de Mission) थे।
- खेलों के समापन की घोषणा के बाद एशियाई खेलों की मशाल चीन की ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष को सौंपा गया।
- 2022 एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगझोउ में किया जाएगा।

18वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय

- बजरंग पूनिया (कुश्ती), पुरुष फ्रीस्टाइल (65 किग्रा. भार वर्ग)
- विनेश फोगाट (कुश्ती), महिला फ्रीस्टाइल (50 किग्रा. भार वर्ग)
- सौरभ चौधरी (निशानेबाजी),पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल
- राही सरनोबत (निशानेबाजी), महिला 25 मीटर पिस्टल
- स्वर्ण सिंह, दत्तु बाबन भोकानल, ओम प्रकाश एवं सुखमीत सिंह (रोइंग), पुरुष क्वाड्रूपल स्कल्स
- रोहन बोपन्ना एवं दिविज शरण (लॉन टेनिस), पुरुष युगल
- तेजिंदर पाल सिंह तूर (एथलेटिक्स),

7. विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप

2018 IAAF विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चौंपियनशिप राटीना स्टेडियम, टैम्पेयर (फिनलैंड) में संपन्न। (10-15 जुलाई)

- भारत की धाविका हिमा दास ने चौंपियनशिप में महिलाओं की 400मी. स्पर्धा में स्वर्ण पदक (51.46 सेकंड) जीता। (12 जुलाई, 2018)
- रोमानिया की एंड्रिया मिक्लोस को रजत (52.07 सेकंड) तथा अमेरिका की टेलर मैनसन को कांस्य (52.28) पदक प्राप्त हुआ।
- हिमा दास से पूर्व भारत की किसी भी महिला ने विश्व चौंपियनशिप के किसी भी स्तर पर स्वर्ण पदक नहीं जीता था।
- हिमा विश्व स्तर पर ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं।
- इससे पूर्व पीटी उषा ने 1984 ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल रेस में चौथा स्थान तथा मिल्खा सिंह ने 1960 ओलंपिक में 400 मीटर रेस में चौथा स्थान हासिल किया था जो विश्व स्तर पर भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा था।
- विश्व जूनियर चौंपियनशिप में इससे पूर्व सीमा पूनिया (2002 में चक्का फेंक में कांस्य), नवजीत कौर ढिल्लो (2014 में चक्का फेंक में कांस्य) तथा नीरज चोपड़ा (2016 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक) जीता था।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. ''हमारे धर्म ग्रंथों व समाज में प्राय: फल की इच्छा किए बिना कर्म पर बल दिया जाता है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर प्राय: यह लागू नहीं हो पाता है।'' उक्त कथन के संदर्भ में अपना विचार दें।

2. ''21वीं सदी का विश्व संचार क्रांति अपने चरम स्तर पर आज सूचनाओं और विचारों का तुरंत प्रवाह करता है नतीजन इससे जहाँ फायदा हुआ है, वहीं इसने धार्मिक उन्माद, घृणा, सांप्रदायिकता आदि की चुनौती भी प्रकट की है।'' इस संदर्भ में उपर्युक्त तर्क दें।

3. गोल्डन राईस विटामिन क्या है? यह किस तरह मानव प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा कर मानव को बीमारियों से बचाता है? स्पष्ट करें।

4. न्यूनतम मजदूरी कानून से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संगठित क्षेत्र में तो न्यूनतम मजदूरी मिलता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र व अन्य गैर संगठित क्षेत्र में नही, इस संदर्भ में उपयुक्त कारणों की चर्चा करते हुए सुझाव भी बताएं।

5. चक्रवात से आप क्या समझते हैं? चक्रवात के जनन में हिन्द महासागर की तटीय संरचना की भूमिका बताते हुए सरकार द्वारा इस संदर्भ में किए गए पहलों की चर्चा करें।

6. हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला समानता को लेकर सरकार द्वारा सजगता के बाद भी महिलाओं को कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है? वे कौन से कारण हैं जो महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं? चर्चा करें।

7. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A से आप क्या समझते हैं? आज के समय में यह कितना सार्थक व निरर्थक है? आपका इस संबंध में क्या विचार है अपने विचारों के पक्ष में तर्क दें।

CALL US

FACE-TO-FACE CENTRES

MUKHERJEE NAGAR

635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009, Ph: 011-47354625 / 26, (+91)-9205274741 / 42

RAJENDRA NAGAR

25B, 2nd Floor, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, Metro Pillar Number 117, Delhi-110060, Ph: (+91)- 9205274745 / 43

LAXMI NAGAR

1/53, 2nd floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092 Ph: 011-43012556, (+91)- 9311969232

ALLAHABAD

2nd & 3rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad, U.P.- 211001, Ph: 0532 2260189, +91 8853467068

LUCKNOW

A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, U.P.-226024, Ph: 0522 4025825, +91 9506256789

GREATER NOIDA

Plot No. 28/1A Knowledge Park III, Greater Noida, U.P.-201306, Ph: +91 9205336037 / 38

BHUBANESWAR, ODISHA

Oeu Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha-751024, Ph: +91 9818244644, 7656949029

LIVE STREAMING CENTRES

BIHAR – PATNA 9334100961, **CHANDIGARH**- 8146199399 **DELHI & NCR**- FARIDABAD 9711394350, 01294054621, HARYANA- KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR 9050888338, **MADHYA PRADESH** - GWALIOR 9098219190, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA 9926207755, 7662408099 **PUNJAB**- PATIALA 9041030070, **RAJASTHAN**- JODHPUR 9928965998, **UTRAKHAND**- HALDWANI 7060172525 **UTTAR PRADESH**- BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570009003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

FOR DETAILS, VISIT US ON
DHYEYAIAS.COM
011-49274400

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS की स्थापना श्री विनय सिंह और श्री क्यू.एच. खान द्वारा एक दशक पूर्व की गयी थी। अपनी स्थापना के समय से ही इस संस्थान की सफलता की कहानी अद्वितीय रही है। आज यह संस्थान सिविल सेवा की कोचिंग प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्थान रखता है। संस्थान योग्य उम्मीदवारों द्वारा उनके सपनों को साकार कराने में काफी सफल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इसकी पिछले वर्षों की सफल कहानियाँ हैं।

बड़ी संख्या में ऐसे छात्र, जो इस कठिन परीक्षा में शामिल होकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उचित संसाधनों की कमी है जबकि कई अन्य छात्र जिनके पास एक मेधावी अकादमिक पृष्ठभूमि तो है लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक परीक्षाओं में एक बड़ा अंतर है और यह परीक्षा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से सुनियोजित मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है। यहाँ सही दिशा में रखा गया एक कदम किसी को भी निरपवाद रूप से कईयों से आगे कर सकता है। ध्येय IAS अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शकों की टीम तथा विशेष रूप से तैयार की हुई पाठ्य सामग्री से सुसज्जित है, जो छात्रों को उनके ऐच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है।

सिविल सेवा परीक्षा निर्दिष्ट विषयों के आधारभूत ज्ञान की मांग करती है। यद्यपि ये विषय स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाये जाते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण इस परीक्षा की दिशा में नहीं होता है। ध्येय IAS की कक्षाएँ दृष्टिकोण के मामले में स्कूल और कॉलेजों की कक्षाओं से भिन्न होती हैं। ये कक्षाएँ इस विशेष परीक्षा पर केंद्रित होती हैं। ध्येय IAS में प्रदान की जाने वाली मार्गदर्शक कक्षाएँ छात्र के केंद्रित रहने, सीखने और अन्वेषण की क्षमता की अभिवृद्धि करती हैं, क्योंकि हम इस बात से पूर्णत: अवगत हैं कि आप किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकते बल्कि अपने अंदर उसे खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं।

DSDL Prepare yourself from distance

जिस प्रकार **ध्येय IAS** अपनी क्लासरूम परिचर्चा कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं सही रणनीति के साथ मार्गदर्शन के लिए प्रतिभागियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनायी है, उसी प्रकार एक नए उद्देश्य के साथ ऐसे कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है जो विशेष रूप से उन प्रतिभागियों के लिए संरचित है जो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण क्लासरूम कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को यदि समय-समय पर सही मार्गदर्शन के साथ दिशा-निर्देश दिया जाए, तो वे अपनी सीमाओं के बावजूद सफलता को आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य पर आधारित यह कार्यक्रम केवल संस्था के नाम पर नोट्स उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रतिभागियों एवं शिक्षक के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने की एक कड़ी भी है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है सारगर्भित, वस्तुनिष्ठ एवं विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। इस अध्ययन सामग्री निर्माण का लक्ष्य है कि हमसे कोई भी तथ्य छूटे नहीं बल्कि सही दिशा में सम्पूर्ण सामग्री का निर्माण हो। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित अध्ययन सामग्री प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समान रूप से उपयोगी है। **हमारा विश्वास है गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री निर्माण करना जो आपके सिविल सेवा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बन सके।**

Dhyeya IAS Now on WhatsApp

Join Dhyeya IAS Whatsapp Group by Sending

"Hi Dhyeya IAS" Message on 9355174440.

You can also join Whatsapp Group through our website

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400